निर्दलीय

अंतरराष्ट्रीय मासिक पत्रिका

▪ साहित्य
▪ कला
▪ संस्कृति
▪ उद्यमिता

प्रधान संपादक- कैलाश आदमी

उप संपादक : सरिता गर्ग 'सरि'
प्रवासी संपादक : डॉ. सुनीता शर्मा

वर्ष : २० | अंक : ०३ | नई दिल्ली, सितंबर २०२५ | मूल्य : १०/- | विशेषांक : ५०/-

भाषायी सौहार्द विशेषांक

शब्दाय तन, शब्दाय मन और शब्दाय धन ।
राष्ट्र भाषा के लिए समर्पित तन-मन-धन।। - कैलाश आदमी

(आमुख) पृष्ठ ४-६

मासिक 'निर्दलीय' के आगामी अंक

विगत दो दशकों से नियमित प्रकाशित निर्दलीय प्रकाशन की बहुरंगी अंतर्राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'निर्दलीय' प्रति माह विशेषांक के रूप मे प्रकाशित हो रही है। नई दिल्ली स्थित सलाहकार श्री सुरेश खांडवेकर एवं श्रीमती कविता मल्होत्रा और संरक्षक सेठ रामनिवास गुप्ता एवं श्री रमेश सिंह राघव के सहयोग से मासिक पत्रिका की साज-साज्जा और सामग्री में निरंतर उत्कृष्टता एवं विकास परिलक्षित है। इस तारतम्य में आगामी वर्ष २०२५-२६ के लिए संपादकीय मंडल ने बारह विषयों का चयन किया है । आप सभी से प्रार्थना है कि आप इन विषयों पर अपने आलेख, खट्टे मीठे अनुभव, काव्य, कथा- कहानी,कविता, प्रहसन,संस्मरण अदि मासिक पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। आपसे निवेदन है निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित होने जा रहे निर्दलीय मासिक पत्रिका के विशेषांकों के लिए विषयांतर्गत सामग्री अवश्य भेजें। माहवार विषय इस प्रकार है--

अक्टूबर - पुस्तकें ही जीवन, नवंबर- शिक्षा, भाषा और साहित्य तथा दिसंबर - पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण, जनवरी- विश्व शांति, फरवरी - सर्वधर्म समभाव, मार्च- वासंती उल्लास, अप्रैल - फुर्सत, मई -सैर सपाटा, जून- मुखर अभिव्यक्ति, जुलाई- निर्दलीय के अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मान समारोह पर केंद्रित, अगस्त - स्वाधीनता और लोकतंत्र, सितंबर - भाषाई सौहार्द,

माह अक्टूबर २०२५ में प्रकाशित होने जा रहे विशेषांक (पुस्तकें ही जीवन) हेतु रचनाएं/आलेख २० अगस्त २०२५ तक व्हाट्स ऐप/मेल पर मिल जाना चाहिए।

* कैलाश आदमी, संस्थापक संपादक 9424443401/मेल nirdaliyadaily @gmail.com

निर्दलीय से जुड़ना अब आसान

निर्दलीय दैनिक / साप्ताहिक /मासिक (मुद्रित आकार)का शुल्क भेजना अब आसान हो गया है क्योंकि अब आप भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा भोपाल के हमारे निर्दलीय के खाता क्रमांक- 30030303507(IFSC code- sbin0001308 के अलावा हमारे मोबाइल फोन 9424443401 से जुड़े फोन पे या गूगल पे से भी शुल्क /सहयोग राशि भेज सकते हैं। दैनिक,साप्ताहिक व मासिक मुद्रित के साथ ई-पेपर भी हैं। ई-पत्रिका या पेपर हेतु शुल्क भेजना ऐच्छिक है।

मासिक निर्दलीय वार्षिकः रु.600/- साधारण डाक (स्पीड पोस्ट रु. 1000)

संरक्षक/सलाहकार पद प्रतिष्ठार्थ

वार्षिक : रु।5000/- तीन वर्ष 11000/-

संरक्षक/सलाहकारः रु. 20000/-

नोट- दैनिक निर्दलीय प्रति अंक दो रु. (वार्षिक स्पीड पोस्ट से एक हजार रु), साप्ताहिक 'निर्दलीय' प्रति अंक पांच रु.(वार्षिक शुल्क 500 रु) साधारण डाक व्यय सहित। स्पीड पोस्ट से मंगवाना है तो 1000 रु. । साप्ताहिक व मासिक निर्दलीय दोनों स्पीड पोस्ट से मंगवाना है तो कुल राशि 2000 रु. भेजें।

<u>व्यवस्थापकीय पता</u> -निर्दलीय, एफ 116/7 शिवाजी नगर, भोपाल 462016

खाताधारक का नाम- निर्दलीय Nirdaliya
बैंक-भारतीय स्टेट बैंक
शाखा- मुख्य शाखा, भोपाल 462003
खाता क्र. 30030303507
आईएफएससी कोड (कूट संकेत) -एसबीआईएन 0001308 (sbin 0001308)

दैनिक निर्दलीय, साप्ताहिक निर्दलीय और मासिक निर्दलीय की वार्षिक ग्राहकी/संरक्षक/सलाहकार सहयोग राशि हेतु दूरभाष क्र. 9424443401/8839797448 पर phone pay/Google pay के जरिए जमा कर स्क्रीन प्रिंट भेजें।

-प्रबंधक

UPI ID: nirdaliyadaily@okhdfcbank

अंतरंग

स्तंभ	शीर्षक	लेखक/ कवि/समीक्षक	पृष्ठ
आमुख	भाषायी सौहार्द कठिन	कैलाश आदमी	४-७
आलेख	अनमोल पूंजी	ललित शर्मा	८
--,,--	विविधता में एकता	डॉ. सुनीता शर्मा	९-१०
कविता	भाषायी सौहार्द	सरिता गर्ग 'सरि'	१०
आलेख	संघर्षों से गुजरते हुए	संजीव ठाकुर	११
--,,--	कब थमेगी ओछी राजनीति	विनोद नागर	१२-१४
--,,--	एकता की मधुर धुन	चंद्रप्रकाश गुरु	१५
--,,--	विविधता में एकता की नींव	यशोधरा भटनागर	१६
--,,--	सामाजिक एकता	कविता मल्होत्रा	१७
--,,--	आपसी प्रेम से बढ़ेगा...	सीमा जहूर	१७
--,,--	राष्ट्रीय विकास की कड़ी	सतीशचंद्र 'सतीश'	१८-१९
--,,--	अंतरराष्ट्रीय भाषा	दुर्गेश मोहन	१९
--,,--	भाषायी कट्टरता	मनोरमा पंत	२०
--,,--	हिंदी की उपयोगिता	उषा सक्सेना	२१
कविता	भाषा प्रेम	सुरेश सचान	२१
आलेख	भारत में विशेष महत्व	वल्लभ किशोर शर्मा	२२
--,,--	हिंदी की कब तक उड़ेगी चिंदी	संजय पराते	२३-२४
कविता	नौकरी दाव पर	संजय तराणेकर	२४
कविताएं	हिंदी	शरदनारायण खरे, नमिता सेनगुप्ता	२५
--,,--	हिंदी/भाषायी एकता	दिनेश कुमार कोली/लतेलिन 'लता'	२६
--,,--	हिंदी राष्ट्र/हिंदी भाषा	कृष्ण वियोगी/शेषपाल सिंह	२७
आलेख	श्रद्धांजलियां (श्री सुरेश खांडवेकर)	निर्दलीय प्रस्तुति	२८-३२

मासिक
निर्दलीय

संरक्षक/सलाहकार सुरेन्द्रनाथ दुबे, मेघा पाटकर, डॉ। पवन कुमार जैन, सोहनराज तातेड, सुरेश खांडवेकर, सेठ रामनिवास गुप्ता, कविता मल्होत्रा

कार्यकारी संपादक – प्रिय अभिषेक (प्रिंस अभिशेख अज्ञानी) ९८२६४२२८२० *प्रबंध सम्पादक– अशोक 'निर्मल'

मूल्य 10 रुपये/ विशेषांक 50/- वार्षिक 600/- पंजीकृत डाक 1000/- शुल्क फोन पे/जी पे 9424443401 QR CODE द्वारा या निर्दलीय (nirdaliya) के SBI मुख्य शाखा भोपाल खाता क्रमांक 30030303507 (IFSC code sbin0001308) अथवा निर्दलीय प्रकाशन के यूनियन बैंक (महाराण प्रताप नगर जोन-2 भोपाल) के खाता क्रं। 10121101000060 में जमा कर सकते हैं।

(RNI regnÐ DELHI/2006/19211) ईमेल nirdaliyadaily@gmailÐcom ई पेपर nirdaliyaÐcom

भोपाल कार्यालय/संपर्क: निर्दलीय प्रकाशन-एफ११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल ४६२०१६ दूरसंपर्क०७५५ -२७७२४०६

स्वामी,मुद्रक-प्रकाशक-संपादक-कैलाश श्रीवास्तव 'आदमी' (9424443401/8839797448) द्वारा निर्दलीस प्रेस, भोपाल से मुद्रित, राघव भवन सी 6/72 दयालपुर), दिल्ली 110 090 से प्रकाशित।

अंग्रेजी के राजभाषा रहते भाषायी सौहार्द कठिन

कैलाश आदमी

अक्सर लोग वर्ष में एक दिन हिंदी दिवस का आयोजन कर भाषा के प्रति अपना प्रेम दर्शा देते हैं और फिर वर्ष के शेष ३६४ दिन अपनी ही भाषा चाहे वह हिंदी हो अथवा अन्य कोई मातृभाषा, उसे विसराते हुए अंग्रेजी को वरीयता देते हैं। यही कारण है कि हम अपने ही देश में विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपने सिर पर चढ़ाए हुए हैं जो उतरने का नाम नहीं लेती।

कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी का उद्भव संस्कृत और आंचलिक भाषाओं से हुआ। वे संस्कृत के साथ प्राकृत व आंचलिक भाषाओं के अवदान को भूल जाते हैं। मौर्य काल में जब बौद्ध धर्म प्रभावी रहा तब भी किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रचलन रहा और समय के साथ हिंदी जनगण की भाषा बनीं।

राष्ट्रभाषा हिंदी का १३०० वर्ष का लंबा इतिहास रहा है। यह भाषा ना केवल आम बोलचाल की भाषा रही बल्कि किसी न किसी रूप में सत्ता और लंबे समय तक संतों की भाषा बनी रही। भाषा व संस्कृति ही किसी राष्ट्र की पहचान होते हैं। लंबे समय तक देश में मौर्यों का शासन रहा और इस अवधि में प्राकृत व संस्कृत भाषाओं के लिए आंचलिक व क्षेत्रीय भाषाएं प्रभावी रहीं। मुगल काल में हिंदी उर्दू व फारसी शब्दों को अपनाकर समृद्ध हुई किंतु ब्रिटिशकालीन शिक्षा नीति ने हिंदी को हाशिए पर ला दिया।

जब हम देश में पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालते हैं तो यह जान पाते हैं कि १८वीं शताब्दी में देश का पहला समाचार पत्र ३० मई १८२६ को साप्ताहिक 'उद्ंत मार्तंड' कलकत्ता से निकाला था जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। यद्यपि यह समाचार पत्र एक साल ही पूरा कर पाया किंतु एक दैनिक समाचार पत्र 'सुधा वर्षण' के प्रकाशन ने इतिहास बनाए रखा।

हिंदी भाषा के प्रति लोकचेतना एवं लोक जागरण का काम बॉलीवुड ने भी किया। इस हेतु बंबई हिंदी फिल्मों का केंद्र बनकर उभरा तथा तथा दक्षिण भारत में हिंदी फिल्मों का रूपांतरण किया जाता रहा और ये फिल्में लंबे समय तक हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में हाथ बंटाती रही।

स्वाधीनता आंदोलरन में आंदोलनकारियों के मध्य संपर्क की मुख्य भाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं रहती थीं और यही कारण है कि आंदोलनकारी यह उम्मीद लगा बैठे थे कि स्वाधीन भारत की आधिकारिक राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। इस संबंध में असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाभाषियों के मध्य सहमति बन चुकी थी। सभी भाषा-भाषी वंदे मारतम, जयहिंद, भारतमाता की जय जैसे नारे लगाते थे जबकि अंग्रेजी का शब्द इंकलाब देशीभाषाओं के नारे में ही शुमार हो गया था। जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता था। इन गीतों में बांग्ला भाषा हिंदी के साथ पूरी तरह घुलमिल गई थी।

दो अप्रैल १९१३ को अभा कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो इस दौरान भाषा सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसका सभापतित्व लोक मान्य तिलक ने किया जो मराठी भाषी थे किंतु जब वे बोलने खड़े हुए और अंग्रेजी में भाषण झाड़ने लगे तो गुजरातीभाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में भी प्रवीण महात्मा गांधी ने उन्हें टोका- हिंदी में बोलिए। इस पर तिलक ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्हें हिंदी नहीं आती तो गांधीजी बोले-मातृभाषा में बोलिये ना। परिणामस्वरूप तिलक ने अपना उद्‌बोधन मराठी भाषा में दिया और कहा कि वे जल्द हिंदी भाषा सीख लेंगे। परिणामस्वरूप अनेक गैर हिंदी भाषाभाषियों ने टूटी-फूटी हिंदी भाषा में बोलचाल आरंभ कर दिया और हिंदी भी सीखने लगे। गांधीजी ने विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रयार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। इसकी शाखाएं अन्य अंचलों में भी खोली गई। समिति का मुख्यालय आज भी नागपुर में है तथा राज्यों की शाखाएं भी काम कर रही हैं तथा विदेशों में भी शाखाओं की स्थापना की जाकर वहां भी राष्ट्रभाषा हिंदी का

प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

वस्तुतः हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक है तथा उसका शब्दकोष भी अन्य सभी भाषाओं से ज्यादा समृद्ध है। ऑक्सफोर्ड अंग्रजी शब्दकोष में भी प्रायः हर वर्ष हिंदी के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों का समावेश किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में अवधी व ब्रजभाषाओं का भी बड़ा योगदान रहा है और गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकी रामायण का हिंदी में अनुवाद किया तो उसमें अवधि व ब्रज भाषाओं को लेकर सामने आए जिससे रामायण की लोकप्रियता ना केवल उत्तर भारत के प्रदेशों तक सीमित रही बलिक इसका प्रचार-प्रसार देश भर में हुआ। जब भारत के मजदूर अन्य देशों में गए तो वे हिंदी भाषा के इसी स्वरूप को वहां भी ले गए जिससे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी वैश्विक स्वरूप ग्रहण कर सकी। आज विश्व में हिंदी भाषियों की संख्या १०० करोड़ तक पहुंच गई है। अंग्रेजी भाषी १५२ करोड़ जबकि चीन की मेंडारिन भाषाभाषी ११८ करोड़ हैं। इस तरह हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। यदि हिंदी भाषी सचेष्ट हों तो हिंदी को विश्व की प्रथम भाषा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।

भाषा कोई भी हो उसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है अर्थात अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है भाषा। भाषा मनुष्य के मन की तहों को भी खोलती है। मैं आरंभ से ही भारतीय भाषाओं के लचीलेपन के प्रति उदार नहीं रहा। अनुदार प्रवृति विदेशी भाषा अंग्रेजी के चलन को लेकर निर्मित हुई और जब मैंने देखा कि हिंदी साहित्य सभी भारतीय भाषाओं का विदेशी भाषा के प्रति लचीलापन है तो यह स्थिति मुझे अखरती गई।

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने भाषा के प्रति जो रवैया अपनाया उसे दृष्टिगत रखते हुए देश के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेजी देश की राजभाषा होगी और हिंदी सहभाषा किंतु उसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान लागू होने के १५ वर्ष बाद अर्थात १९६५ में हिंदी ही देश की राजभाषा होगी किंतु १९६५ आने के पूर्व ही तत्कालीन मद्रास राज्य के कट्टरपंथी तमिल भाषियों ने हिंदी विरोधी आंदोलन छेड़ दिया जो हिंसक होता गया। इसके प्रतिकार स्वरूप देशभर में हिंदी के समर्थन तथा अंग्रेजी के विरोध में आंदोलन हुए किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तमिल कट्टरपंथियों के दबाव में आ गईं और संविधान में संशोधन कर हिंदी को देश की इकलौती राजभाषा बनने से रोक दिया गया। संशोधन में कहा गया कि जब तक देश का कोई राज्य अंग्रेजी को प्रादेशिक भाषा में स्थान देता रहेगा तब तक हिंदी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकेगी।

स्पष्ट है कि देश के सभी राज्यों में बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा के साथ पक्षपात किया गया जबकि इसे नागरिकों द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा पहले ही दिया जा चुका था किंतु राजभाषा बनने में अंग्रेजी आड़े आती रही है। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग में आवेदकों के लिए अंग्रेजी जानने की शर्त रखी गई है जिसके कारण हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के जानने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष रोजगार का संकट बना हुआ है। इस स्थिति के विरूद्ध आयोग के समक्ष कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं। जिन दिनों श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तथा श्री लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे तब मेरे एक मित्र ने आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के समक्ष अपने मित्रों के साथ लंबे समय तक धरना दिया और जब सरकार उनकी यह मांग मानने हेतु तैयार नहीं हुई कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाए तो उन्होंने एक दिन लोकसभा की दर्शकदीर्घा से सदन में छलांग लगा दी।

यद्यपि मेरे मित्र श्री चौहान की जान बच गई किंतु सरकार ने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने की बजाय ना केवल उन्हें प्रताड़ित किया बल्कि आयोग के माध्यम से कर्मचारी के रूप में चयन के इच्छुक अभ्यर्थियों के साथ आज तक भाषायी भेदभाव किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप ना केवल केंद्रीय सेवाओं में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में निपुण अभ्यर्थी प्रवेश कर पाते हैं बल्कि अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा जैसी सेवाओं में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता। अखिल भारतीय सेवाओं के ये अधिकारी देश या विदेश जहां भी पदस्थ होते हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अहंकार घेरे रहता है जिससे भारतीय भाषाओं के लोग प्रताड़ित होते हैं।

भारतीय संविधान में जब अंग्रेजी को केवल १५वर्ष के लिए राजभाषा रखे जाने का प्रावधान किया गया तब ना केवल संविधान सभा बल्कि स्वतंत्र भारत के दोनों सदनों में शासन की ओर से बार-बार कहा गया कि हिंदी को १५ वर्षों में इतना सक्षम बना दिया जाएगा कि वह अंग्रेजी का स्थान ले सकेगी किंतु जानबूझकर इस तरह के प्रयास किए गए जिससे अंग्रेजी सदा सर्वदा के लिए देशवासियों पर थोपी जाती रहे। यद्यपि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया किंतु उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में शुमार किए जाने की दिशा में समुचित पहल नहीं की बल्कि उनके शासनकाल में हिंदी भाषा के स्वरूप को ही विकृत किए जाने की दिशा में कदम उठाते हुए हिंदी शब्दों के साथ हिंदी के अंकों का उपयोग गैर कानूनी करार देने हेतु बाकायदा संविधान में संशोधन कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप हिंदी खिचड़ी भाषा के रूप में परिवर्तित होती गई तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं और संवाद माध्यमों ने उसके इस स्वरूप को और भी विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के सर्वाधिक प्रचलित और प्रसारित होने का दावा करने वाले अखबार भी एक भी ऐसा समाचार नहीं देते जिसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों और अक्षरों का उपयोग ना किया जाता हो जिससे हिंदी को हिंग्लिश कहा जाने लगा है। समाचार चैनल भी हिंग्लिश का ही उपयोग कर भाषा की विकृति को बढ़ावा देते हैं।

कहने को देश में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है तथा अभा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और उसकी राज्य इकाइयां हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित हैं किंतु इनमें भी हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी भाषा के अंकों का उपयोग किया जाता है तथा हिंदी को खिचड़ी भाषा और हिंग्लिश बनाने में ये संस्थाएं भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। भारत सरकार गाहेबगाहे देश-विदेश में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करती है तथा ऐसा सम्मेलन भोपाल में भी आयोजित किया जा चुका है। भोपाल सम्मेलन के दौरान जो प्रचार पट केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लगाए गए उनमें हिंदी शब्दों के साथ हिंदी के अंकों का भी उपयोग किया गया था किंतु यह दिखावा ही सिद्ध हुआ। इसके बावजूद हिंदी के प्रति लोगों में इतना आकर्षण है कि उम्मीद है कि यह भाषा दुनियाभर में अपना परचम लहराती रहेगी।

भारत की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी सहित भारतीय संविधान की ८वीं अनुसूची में शामिल २२ भाषाएँ हैं- असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि अंग्रेजी के साथ, यह केंद्र सरकार की भी आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के दर्जे से च्युत करने हेतु भाषायी एकजुटता आवश्यक है।

मेरे परम मित्र श्री सुरेश खांडवेकर जो निर्दलीय प्रकाशन के सलाहकार भी रहे, कहते थे कि पशु-पक्षियों में भी संवाद होता है, केवल मनुष्य के लिए ही संवाद हेतु संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती। अन्य प्राणी हमारे लिए मूक हो सकते हैं पर उनकी योनी के लिए नहीं। बिना संवाद के कैसे जिएंगे, सुरक्षित रहेंगे। जितनी बातचीत मानव समाज करता है, उतनी ही बातचीत पशु-पक्षी भी करते हैं। वे सूक्ष्म भाषा में संवाद करते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। पक्षी अपनी ध्वनियों से बातचीत करते हैं। कुछ जानवर गंध से, कुछ स्पर्श से कुछ ध्वनि से, एक दूसरे का भाव समझते हैं और संवाद करते हैं। हजारों की संख्या में कुछ प्रजातियां बहुत लम्बी-लम्बी यात्रा करती हैं। एक देश से दूसरे देश जाते हैं! ये क्या आपस में बिना सम्प्रेषण के संगठित हो सकते हैं ? बिना संवाद के हजारों किलोमीटर की दूरी पारकर दूसरे देश में जाते हैं। बोली बदल जाती है। श्री खांडवेकर का कथन सर्वथा उपयुक्त है किंतु मानव जाति के लिए भाषा ही अभिव्यक्ति का सशक्त और प्रबल माध्यम है।

यह सही है कि आदि मानव ने जब अभिव्यक्ति के लिए संकेतों के साथ भी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम चुना होगा तब पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों व अन्य जीवों की भी सांकेतिक भाषा रही होगी। मनुष्य ने तो अभिव्यक्ति के लिए भाषा के रूप में विभिन्न भाषाओं का चयन कर लिया किंतु अन्य जीवों ने संकेतों के साथ संवेदनाओं, चिन्हों, प्रतीकों आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए

जो प्रक्रिया अपनाई थी वह आज तक प्रचलन में है जिससे उनके मध्य शाश्वत सौहार्द बना हुआ है जबकि भिन्न-भिन्न भाषाओं में दक्षता अर्जित करने वाले मनुष्यों के मध्य सौहार्द और सामंजस्य की कमी के कारण देश में आधिकारिक राष्ट्रभाषा और इकलौती राजभाषा का प्रश्न आज तक अधर में लटका और अटका हुआ है। चिंतनीय बात यह है कि भाषायी दृष्टि से राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में एक सर्व सुलभ और सर्व हितैषी मार्ग के रहते मनुष्य ने ही आपसी झगड़ों के कारण इसे सबसे कठिन और दुस्साध्य बना दिया है।

आज देश की सर्वप्रमुख भाषा हिंदी में निरंतर अंग्रेजी शब्दों, अक्षरों और अंकों की मिलावट होने से हिंदी अपना ना केवल संस्कृतनिष्ठ मूल स्वरूप खोती जा रही है वहीं उसका भाषायी सौंदर्य और लालित्य भी कम होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि अन्य भाषाएं अंग्रेजी के प्रभुत्व की शिकार ना हुई हों, सच्चाई यह है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी हिंदी सहित सभी अन्य भाषाओं को निगलती जा रही है तथा इसका दुष्प्रभाव अर्वाचीन समय से प्रचलित समस्त बोलियों पर भी पड़ रहा है।

हाल ही नेपाल में नई पीढ़ी ने बढ़ा धमाल मचाया जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री श्री केपी ओली को ना केवल पद छोड़ना पड़ा बल्कि वे और उनके मंत्रिमंडलीय साथियों को छिपकर गुजर-बसर करना पड़ी। विपक्ष के नेता श्री प्रचंड़ को इसी तरह छिपकर समय गुजारना पड़ा। मैं कई बार अपने पड़ौसी देश नेपाल गया तो मैंने वहां पाया कि नेपाल सरकार का सारा कामकाज हिंदी भाषा में ही होता है जिसे नेपाली कहा जाता है। वहां ना केवल हिंदी शब्दों का बल्कि अंकों का भी प्रचलन है तथा सरकार ने इसे सरकारी व गैर सरकारी कामकाज के लिए वैध माना है। वस्तुतः नेपाल भी श्रीलंका, सिक्किम, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि पड़ौसी देशों के समान कभी भारत का ही अंग रहा और वहां नेपाली भाषा के रूप में हिंदी विद्यमान रही। विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान अस्तित्व में आए और वहां ऊर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश लोग बांग्ला और हिंदी भाषी रहे जिन्होंने सातवें दशक के आरंभ में पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के विरूद्ध आजादी का आंदोलन छेड़ दिया जिसे तत्कालीन भारत सरकार जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, ने भरपूर समर्थन दिया जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ जिसे हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। यद्यपि बांगलादेश में भी युवाओं ने विद्रोह कर दिया जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ी है। स्वाधीन भारत में जो राज्य बने उन्हें कई बार भाषा के आधार पर विभाजित करना पड़ा। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब आदि के साथ ही दक्षिण भारत एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनका सृजन भाषा के आधार पर किया गया। इससे स्पष्ट है कि भाषा का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा रहा है किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बोली जाती है अथवा जिसे लोग समझते हैं। अतएव आवश्यक है कि भारतीय संविधान में एक बार फिर संशोधन किया जाकर विदेशी भाषा अंग्रेजी को पूरी तरह तिलांजलि दी जाए ताकि हिंदी अंग्रेजी की सह राजभाषा ना होकर संविधान सम्मत राष्ट्र भाषा और राजभाषा का स्थान प्राप्त कर सके। भारत में आज सर्वोच्च अदालत के साथ राज्यों की उच्च अदालतों के निर्णय केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं और इसी कारण बहस भी अंग्रेजी में ही होती है जिसे हिंदी भाषी व अन्य भाषाभाषी पक्षकार बिलकुल नहीं समझते जिससे स्पष्ट है कि उन्हें वांछित न्याय नहीं मिल पाता। केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोगों की भाषा भी अंग्रेजी ही रखी गई है जिससे अंग्रेजी जानने वाले छात्र ही अखिल भारतीय एवं राज्य सेवाओं में स्थान अर्जित कर पाते हैं। उधर राजकीय सेवाओं में जातिगत व सांप्रदायिक आरक्षण होने से शिक्षा व योग्यता के आधार पर चयन नहीं हो पाता। अंग्रेजी के विदा होने पर ही न्याय मिल सकेगा तब तक हिंदी सहित भारतीय भाषाएं और बोलियां अंग्रेजी की गुलामी तले ही कुचली जाती रहेंगी तथा भाषायी सौहार्द का स्खलन होता रहेगा और भारतीय भाषाओं में शुद्धता भी नहीं रह पाएगी। अंत में मेरी दो काव्य पंक्तियां-

शब्दाय तन, शब्दाय मन और शब्दाय धन ।
राष्ट्रभाषा के लिए समर्पित तन-मन-धन।।

-कैलाश आदमी

अनमोल पूंजी है भाषाई सौहार्द

ललित शर्मा

भाषाओं का ज्ञान रखना, सीखना, समझना, बोलना एक अद्भुत गुण जिसे मनुष्य अर्जित करने में अथक प्रयासरत व एकाग्रता बरतता है । इससे तमाम जटिलताओं में काम खूब आसानी से कर सकते है । भाषा ज्ञान सहायक होती है ।निसंदेह भाषा एक लाभदायक पूंजी है । भाषाई सौहार्द एक अनमोल पूंजी है । यह अनमोल पूंजी धैर्य से अर्जित कर सकते है । भाषाज्ञान अर्जित में अटल रहना अनिवार्य है । किसी भी अनजान जगह भाषा की शक्तियां मदद करती है ।

इससे जुड़ने की पहली शर्त है कि बोली भाषा का पूर्ण ज्ञान का बेधडक उपयोग करें। यह नितांत आवश्यक है । दूसरी बात सम्पर्क तो केवल भाषा ही बढ़ाती है । यह विघ्न बाधा दूर करने में सहायक होती है । इससे सम्पर्क का सिलसिला सिलसिलेवार प्रगाढ़ होता है । सम्पर्क में मजबूत रंग भाषा से चढ़ता है । कामकरने की शैली में भारी परिवर्तन आता है । मजबूत सीढ़ियों का निर्माण भाषा ही करती है । प्राथमिक चरण में भाषा को सीखने व उससे घनिष्ठता बढ़ाने में ज्यादा गम्भीर रहना पड़ता है । आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्पर्क स्थापित करना एकाएक नहीं होता । यह काम पेचीदगियां भरा भी है । अक्सर भाषा गुणी ज्ञानियों में सम्पर्क की डोर अटुट बंधी रखने की कला कूट कूट कर भरी रहती है । इसमें पहले भाषा का सम्मान दिल से किया जाए जिससे अपनेआप आपसी सम्पर्क में निरन्तर निखार आता है । याद रखें हम किसी भी कीमत में भाषाज्ञान मजबूत ही करें, भाषा के सम्मान में खरे उतरे, यह कठिन काम नहीं है लेकिन खरा उतरने में भाषा के जुड़ाव से आपसी एकता कायम करने में कमजोर कदापि न रहें । इसी से वास्तविक गुण का अनुभव होता है । हमारी विचारधारा में भाषाई सौहार्द की नींव को सदैव सींचना गलत निर्णय के विपरीत सही सार्थक निर्णय ही होता है । भाषा के प्रति कटुता का बीजारोपण कदापि न होने दे ।

भाषाओं के सम्मान में कदापि ठेस पहुंचाने पर स्नेह प्रेमप्यार फीका पड़ता है, झगड़े की जड़ बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इसके उदाहरण भरे पड़े है । भाषा के बीच सौहार्द बिगाड़ने वाली शक्तियों को त्वरित उखाड़कर अलग कर देने की हिम्मत हमेशा ही रखनी चाहिए । भाषा की सशक्त दीवार का निर्माण करें ताकि भाषाई सौहार्द में आंनद की अनुभूतियों में खोए रहें । भाषाई सौहार्द में सराबोर रह सकें । कलम की ताकत का कमाल भी दिखलाए । भाषा सौहार्द के बढ़ने के नुस्खे में स्वत: जुटाकर आगे आये, यह गुण अक्सर दिखाए । हमारे पास भाषा ज्ञान की अनमोल सम्पत्ति का सही रूप सदुपयोग होना जरूरी है । हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ कलम से ही निखरेगी । इससे बढ़कर दूसरी अन्य सम्पत्ति व्यर्थ है । यह सम्पत्ति विकसित करने में लीन रहें । यह अत्यंत हितकारी भी है । किसी भी जटिलता की घड़ी में भाषा का सहारा लिया जाना उच्च विचार है । यह विचार ही सरलतापूर्वक निचोड़ निकालता है। यही नेक सोच विचार एकाएक सटीक साथ निभाती है । भाषा ज्ञान से असीमित विकास होता है। किसी भी नए मार्ग में परिभ्रमण करने में भाषा के प्रेम की भावना को संग में रखना सौहार्द के रंग में उमंग चढ़ाता है । अनजान स्थान में अपने विचारों के आदान प्रदान में ग़लतफ़हमी के कारण विवादों का माहौल उत्पन्न होता है ।

भाषा ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना शिक्षा प्रदान करना एक मजबूती लाने का जरिया है । अशिक्षित जनों को भी आपसी तालमेल में जगरूकता के जरिये भाषा ज्ञान के महत्व की पूर्ण जानकारी देना खुशी प्रदान करता है । उत्साह उमंग में आपसी प्रेम की किरणों फैलाता है । आजकल हमें सभी जगहों में मिलकर जागरूकता करना इसे बढ़ाना कर्तव्य समझें । यह भाषाई सौहार्द को बढ़ावा देने में काफी मददगार होता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान का ढांचा जितना शक्तिशाली किया जा सकता है उसे करना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की अपनी अपनी विशेषता होती है । उन विशेषताओं को उजागर करने में उनको आपसी आदान-प्रदान करने की प्रक्रियाओं में बल देना चाहिए । हमारे प्रयास से प्रक्रियाएं प्रोत्साहित करती है । इसी को प्राथमिकता के आधार पर करना यानि भाषाई सौहार्द को मूल रुप से बढ़ावा ही देता है। हमसभी की भाषाई विविधता को नकारा नही जा सकता है । उनको आपसी समन्वय से संरक्षण करने की पहल करने में मिलना जुलना फिर उसके प्रति चिंतन मंथन करना जारी रखना भी भाषा सौहार्द में लाभजनक है और प्रोत्साहन भाषाई सौहार्द को बढ़ावा देता है। विभिन्न भाषाओं में सबसे अधिक हमें आपसी संचार व्यवस्था को मजबूत करने में बल देना होगा, हम अपने काम मे संवाद को बढ़ावा देना जारी रखेंगे तो भाषाई सौहार्द का नजरिया काफी परिवर्तित नजर आएगा । हमारे पास भाषा की नीतियों का सही विकास करने की सोच योजना का होना बहुत जरूरी है । हमारे पास यह भाषा को कार्यान्वयन करने में अति आवश्यक रेखा है । भाषाई सौहार्द का महासागर निरंतर निर्माण करें । कला साहित्य संस्कृति नाटकों इत्यादि का भाषाओं में मंचन होना समानता का परिचय कराता है । एकता की मजबूती दर्शाती है । भाषा सौहार्द में कटुता का बीच कभी भी न पड़े । प्रेम करुणा प्यार भरे जीवन को भाषा सौहार्द में सिंचित करें ।

–असम

विविधता में एकता का सूत्र- भाषाई सौहार्द

डॉ. सुनीता शर्मा

भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है; यह मनुष्य की आत्मा का विस्तार है। शब्दों में हमारी संस्कृति, हमारी संवेदनाएँ और हमारी पहचान बसती हैं। जब हम किसी भाषा का सम्मान करते हैं, हम केवल शब्दों को नहीं अपनाते—हम उस समाज, उस अनुभव और उस भावनात्मक दुनिया को अपनाते, जो उसके भीतर छिपी है-

शब्द नदियों से बहते हैं,
मन के घाट पे रहते हैं।
भाषा जब सौहार्द बन जाए,
धरती पर अमन खिल जाए।

भारत : बहुभाषी परंपरा का महाकाव्य- भारत की बहुभाषी संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। यहाँ २२ आधिकारिक भाषाएँ और हजारों बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी—हर भाषा अपने भीतर इतिहास, संगीत और जीवन-दर्शन समेटे हुए है। महात्मा गांधी ने कहा- एक राष्ट्र तभी प्रगति करता है जब उसकी भाषाएँ और संस्कृतियाँ आपस में भाईचारे के बंधन में बंधी हों। यहाँ भाषाई विविधता कभी बंटवारे का कारण नहीं बनी; बल्कि यह हमें जोड़ने और समझने का माध्यम रही। त्योहारों, गीतों, संगीत और साहित्य में यह सौहार्द स्पष्ट दिखाई देता है।

भारत की परंपरा केवल प्राचीन रीति-रिवाजों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक बहुलता और भाषाई सौहार्द का जीवंत उदाहरण है। यहाँ भाषाएँ केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं—साहित्य, संगीत, कला, त्योहार, धर्म और आध्यात्मिकता—की आधारशिला हैं।

भाषा और साहित्य- संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और क्षेत्रीय भाषाएँ भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और लोककथाएँ—हर भाषा ने अपने विचार, ज्ञान और संवेदनाओं को पीढ़ियों तक पहुँचाया।

हिंदी और उर्दू ने प्रेम, रहस्य और जीवन दर्शन को एक अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया। तमिल और तेलुगु की शास्त्रीय कविताएँ और भक्ति गीत सदियों तक मानवता की गाथा सुनाते रहे। बंगाली, मराठी और पंजाबी का साहित्य सामाजिक और भावनात्मक चेतना को जागृत करता है-

कवि जब शब्दों में जीता है,
संस्कृति की झलक दिखाता है।
हर भाषा का अपना आकाश,
हर स्वर में अनंत प्रकाश।

संगीत और कला- भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकसंगीत भी भाषाई सौहार्द को मजबूत करते हैं। भक्ति संगीतम, गीत, और नृत्य हर क्षेत्रीय भाषा को उसकी पहचान देते हैं। उदाहरणतः भक्ति काल के संतकवि तुलसीदास, सूरदास, कबीर ने हिंदी में प्रेम और आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त किया। दक्षिण भारत की कर्नाटक और भरतनाट्यम परंपरा तमिल और तेलुगु भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक सौंदर्य जगाती है।

त्योहार और रीति-रिवाज- त्योहार, उत्सव और सामाजिक आयोजन भारतीय बहुभाषिक समाज की संवेदनाओं का संगम हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ओणम, पोडल—ये सभी भाषाओं और समुदायों के बीच सौहार्द और सहयोग का संदेश देते हैं। लोककथाएँ, नाटक और पर्वजनित गीत विभिन्न भाषाओं में बच्चों और युवाओं को संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा देते हैं-

हर ध्वनि में बसी है परंपरा,
हर गीत में छुपा है नूर।
भाषा नहीं बाँटती मन,
विचारों से बनता एक सूर्यपूर।

दर्शन और सह-अस्तित्व- भारतीय परंपरा ने सदैव यह सिखाया कि भाषा केवल शब्द नहीं, आत्मा का दर्पण है। वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश यह है कि विभिन्न भाषाएँ और संस्कृतियाँ एक-दूसरे के पूरक हैं।

भिन्न बोलियाँ और संस्कृतियाँ सामाजिक एकता को कमजोर नहीं करतीं, बल्कि साझा मानवता और संवेदनाओं को मजबूत करती हैं। हर क्षेत्र की भाषा, हर संस्कृति का संगीत और हर लोककथा हमें यह सिखाती है कि भाषाई सौहार्द ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है।

भारतीय परंपरा का विस्तार- भारत की परंपरा केवल प्राचीन रीति-रिवाजों का संग्रह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक बहुलता और भाषाई सौहार्द का जीवंत उदाहरण वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश -विविधता में एकता-

हर ध्वनि में बसी है परंपरा,
हर गीत में छुपा है नूर।
भाषा नहीं बाँटती मन,
विचारों से बनता एक सूर्यपूर।

न्यूज़ीलैंड : बहुभाषिक सौहार्द- न्यूज़ीलैंड में अंग्रेज़ी और ते रेओ माओरी आधिकारिक भाषाएँ हैं। माओरी नेता हिनेमा एंगलिस ने कहा-

भाषा केवल शब्द नहीं, यह हमारी आत्मा है; इसे बचाना मतलब अपनी संस्कृति को बचाना।

प्रवासी समुदायों की वजह से न्यूज़ीलैंड बहुभाषिक राष्ट्र बन चुका है। हिंदी यहाँ चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय प्रवासी अपने घरों में हिंदी बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और सांस्कृतिक मंचों पर अपनी भाषा को जीवित रखते हैं-

ते रेओ की गूँज से बंधा,
न्यूज़ीलैंड का मन प्रफुल्लित रहा।
हिंदी भी संग सुर मिलाए,
बहुभाषी गाथा सजाए।

ऑस्ट्रेलिया : बहुसांस्कृतिक इंद्रधनुष- ऑस्ट्रेलिया में लगभग २०० भाषाएँ बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी के साथ-साथ चीनी, अरबी, ग्रीक, वियतनामी और हिंदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक नीतियाँ भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करती हैं।

डॉ. एलिज़ाबेथ ब्राउन ने कहा- भाषा समाज को बाँटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए होती है। बहुभाषिक समाज ही सशक्त और समृद्ध समाज है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी हिंदी दिवस, कवि सम्मेलन, रंगमंचीय प्रस्तुतियाँ और भाषा कक्षाओं के माध्यम से हिंदी को जीवित रखते हैं-

सागर पार जब हिंदी गूँजे,
मन अपनेपन से फिर डोले।
भाषाओं के इस इंद्रधनुष में,
हर रंग का नूर झलके।

भाषाई सौहार्द - मानवता का आधार- भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह दिलों को जोड़ने वाला पुल है। जब हम एक-दूसरे की भाषा को सम्मान देते हैं, हम केवल शब्दों को नहीं अपनाते—हम उस व्यक्ति की संवेदनाओं और संस्कृति को समझते हैं-

शब्द टूटे तो मन भी टूटे,
शब्द जुड़ें तो दिल भी जुड़ें।
भाषा जब प्रेम का संगीत बने,
मानवता का दीपक जले।

भाषा ही सौहार्द-

शब्दों की कश्ती चलती रहे,
मन के सागर में लहरें पलती रहें।
भाषा केवल बोली नहीं,
यह सौहार्द की धारा बनती रहे।

हिंदी, माओरी या अंग्रेज़ी,
सबमें बसी है मानवता की गूँज।
भारत की परंपरा सिखाए हमें,
प्रेम और सम्मान का मूलसार सीख।

न्यूज़ीलैंड में जब गीत गूँजें,
ऑस्ट्रेलिया में सुर बिखरें।
भाषा मिलकर बने पुल,
धरती पर अमन के फूल खिलें।

शब्द जोड़ें दिलों को,
भाषा बाँधें नहीं, सजाए।
सौहार्द का दीप जले हर घर,
धरती स्वर्ग समान हो जाए।

-ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड

भाषायी सौहार्द

सरिता गर्ग 'सरि'

भाषाई सद्भावना, है अति नेक विचार।
भाषाओं के हित सभी, रखना सद् - व्यवहार।।

नहीं श्रेष्ठ या हीन है , भाषा कोई एक।
हर भाषा बहुमूल्य है, हर भाषा है नेक।।

माँ-सी हर भाषा लगे, रक्खें कोमल भाव।
भाषाएं सब सीखना, मन में रख कर चाव।।

हर भाषा का मोल है, हर भाषा है खास।
हर भाषा को मान दें, करें न उसका ह्रास।।

हर भाषा सीखें सभी, जगा चेतना, ध्यान।
भेद-भाव को छोड़कर, पाएं सबसे ज्ञान।।

सब लोगों से हम जुड़ें , सबसे हो संवाद।
हर भाषा का हम चखें, थोड़ा-थोड़ा स्वाद।

भाषाओं के बीच में , रखें न कोई बैर।
आपस में चर्चा करें, करते करते सैर।।

हर भाषा की धुन बजे,हर भाषा का नाद।
सीख समझना कुछ नया,भाषाई सौहार्द।।

सीखें-समझें बोलियां, हो आपस में बात।
जुड़ जाते हैं दिल सदा, होय नेह बरसात।।

संस्कृतियों के बीच में, हो आदान- प्रदान।
प्रेम और सद्भाव से, बढ़ जाता है मान।।

भाषाओं का संरक्षण, और विकास का काम
पूर्ण करें दायित्व यह, बिना लिए कुछ दाम।।

भाषायी सद्भावना , हेतु ज्ञान विस्तार।
अति आवश्यक बात है, बढ़े परस्पर प्यार।।

भाषा-भाषी एक हों, सब भारत के लाल।
ना कोई मतभेद हो,कायम करें मिसाल।।

उर भाषा सौहार्द हो,लब भाषायी गान।
सांस्कृतिक वैविध्यता, यही राष्ट्र पहचान।।

भाषाओं के संघर्षों से गुजरते हुए

संजीव ठाकुर

करीबन आठ सौ से हजार वर्षों की परतंत्रता के बाद अनेक जीवन का बलिदान देने और विभिन्न संघर्षों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस संघर्ष से प्राप्त स्वतंत्रता को हमें देश की एकता, अखंडता एवं सामाजिक समरसता की शक्ति से चिरकाल तक स्थाई रूप से बनाए रखना है अब कभी स्वतंत्रता पर खतरा ना आए यह हमारे देश के दिग्दर्शकों को अपनी कर्मठ जिजीविषा से बनाए रखना होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारी एकता, अखंडता एवं एकरूपता मजबूत हुई है, पर कतिपय राजनैतिक मंसूबों के कारण आज हम सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता और अलग-अलग भाषाओं के संघर्षों से गुजर रहे हैं।

हम आज मंदिर ,मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के विवाद को लेकर विवाद ग्रस्त हो जाते हैं । कभी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी,मराठी,तेलगु,और कभी असमी भाषा के असमंजस में फंस कर एक दूसरे का विरोध जताना शुरू कर देते हैं। मूलतः हमें राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता के विद्वेष, ईर्ष्या, जलन और सीमा तथा भाषाई विवाद से परे हटकर देश में अखंडता, सांप्रदायिक सद्भावना का एक शुद्ध वातावरण समाज में तैयार करना होगा, जिसके फलस्वरूप हम विकास की मुख्यधारा में अपना व्यक्तिगत योगदान राष्ट्र के प्रति दे संके।

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था-

भारत संपूर्ण विश्व में एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जहां मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों का एक एकात्मक सह अस्तित्व कायम है।

वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद शांति सद्भावना एवं किसी भी राष्ट्र की अखंडता एकता एकरूपता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवादी कभी अमेरिका और कभी भारत के दिल्ली, मुंबई और अनेक प्रदेशों को अपना निशाना बनाकर आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं और आतंकवाद ने कई राज्यों में अपार जनहानि तथा संपत्ति की क्षति पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त अलगाववादियों ने भी राष्ट्रीय एकता अखंडता को भंग करने का पुरजोर प्रयास किया है। राजनीतिक पार्टियों के मंसूबों तथा उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण भी अलग-अलग जातियों संप्रदाय तथा पूजा के पवित्र स्थानों को लेकर समाज को अलग करने का बीजारोपण भी किया है। राजनीतिक पार्टियों के चंद राजनेता वोट बैंक बनाने के लिए कभी अल्पसंख्यकों में अलगाव के बीच बोलने का प्रयास करते हैं। कभी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्गों को देश की मुख्यधारा से बहकाने का प्रयास करते हैं, और कभी किसी विशेष जाति प्रांत या भाषा के हकदार बन कर देश की एकता, अखंडता को खंडित करने का पुरजोर प्रयास करते हैं। यह अत्यंत निंदनीय एवं चिंतनीय सामाजिक पहलू है, जिस संदर्भ में हमें गहन विचार करने की आवश्यकता भी है।

सामाजिक स्तर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य वर्ग सुचारू रूप से भाईचारे में अखंड विश्वास रखते हैं एवं सामान्य जीवन करने में विश्वास रखते हैं पर राजनैतिक मंसूबों के कारण कुछ राजनेता इन सभी संप्रदायों को आपस में लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं।

यह एक अत्यंत विचारणीय पहलू है कि राष्ट्रीय अखंडता एकता, सहयोग और भाषायी सौहार्द को बनाए रखने के लिए केवल राजनेता या प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य न होकर हम सबका यह कर्तव्य भी है कि हमें एकजुट होकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सदैव बनाए रखने का सतत प्रयास करना चाहिए। हम यदि ऐतिहासिक रूप से देखें कि अनेक धर्मो जातियों और अनेक भाषाओं वाला भारत देश पूर्व में अनेक विसंगतियां के बावजूद सदैव एकता के सूत्र में बंधा रहा है।

भारत देश में पूर्व में भी अनेक विदेशी जातियां आई और धीरे-धीरे भारत की मूल धारा में समाहित होती गई। भारत में आगमन के साथ इन्हीं जातियों की परंपराएं, विचारधाराएं, संस्कृति, संस्कार भारत की मुख्य धारा में एक रूप हो गई और भारत की सांप्रदायिक सौहार्द की भावना आज भी वैसी की वैसी ही है। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस देश की अखंडता एकता समरूपता और परंपरा को मजबूत बनाकर विश्व के सामने एक मिसाल के रूप में पेश करें।

यह सार्वभौमिक सत्य है कि कोई देश यदि संगठित एक रूप और शक्तिमान होता है तो सारा विश्व उसकी इस ऊर्जा शक्ति को चिन्हित कर उसका सम्मान करता है। और उस पर आक्रमण या किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने से भयभीत रहता है।

जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे तब तक हम मजबूत एवं शक्तिशाली हैं और जब हम खंडित या विघटित हुए तब तब देश कमजोर हुआ है। अब हमें इन विघटनकारी ताकतों और विध्वंस कारी शक्तियों को नियंत्रण में लाकर इन्हें देश से बाहर भगाना होगा और इन पर प्रभावी नियंत्रण कर के देश की संप्रभुता एकता को बनाए रखना होगा। इसके लिए देश के संचार माध्यम, मीडिया, साहित्यकारों, कलाकारों को राष्ट्रीय एकता के लिए अपने को समर्पित भाव से सामने लाकर देश की सेवा करनी होगी।

-रायपुर

भाषा को लेकर कब थमेगी ओछी राजनीति

विनोद नागर

देश की राजधानी दिल्ली में अभी चुनावी बुख़ार पूरी तरह उतरा भी न था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने बेतुके बयान से भाषाई राजनीति को गर्मा दिया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा को थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिये तैयार है।

दक्षिण भारत में और ख़ास तौर पर तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध जग जाहिर है। स्वातंत्र्योत्तर काल से ही द्रविड़ संस्कृति और भाषाई प्रतिबद्धता के नाम पर विभिन्न राजनैतिक दल चुनावी रोटियाँ सेकते रहे हैं। हालाँकि कालांतर में सामाजिक स्तर पर इस भाषाई जड़ता का ख़ामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा है।

ताज़ा भाषाई विवाद पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साहित्यिक सांस्कृतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया उभरकर सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. देवेन्द्र दीपक ने स्टालिन के इस आरोप को नितांत भ्रामक बताया है, जिसमें कहा गया है कि हिन्दी और संस्कृत के कारण उत्तर भारत की २५ भाषाएँ नष्ट हो गयी हैं। वे जिन्हें भाषा कह रहे हैं, वह हिन्दी की बोलियाँ हैं और अपने-अपने क्षेत्र में आसीन हैं। दरअसल, स्टालिन के संस्कृत और हिन्दी के विरोध के पीछे उनका सनातन द्वेष है।

स्टालिन का यह कहना भी एक सफेद झूठ है कि हिन्दी उन पर थोपी जा रही है। नयी शिक्षा नीति, जिसमें पढ़ाई के लिये त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है, के सूत्रधार स्वयं तमिलभाषी है। नई शिक्षा नीति में भाषा का पक्ष लोकतांत्रिक है। त्रिभाषा सिद्धांत में हिन्दी कहीं भी अनिवार्य नहीं है। एक मातृभाषा, दूसरी विदेशी भाषा और तीसरी कोई भी भारतीय भाषा। तमिलनाडु के स्कूलों में बच्चे जो चाहे वह भाषा पढ़ें। अब इसमें हिन्दी को थोपने की बात कहाँ से आ गई?

'शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद' पुस्तक के लेखक और पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने स्टालिन के बयान को भारत विरोधी बताते हुए कहा है कि तमिलनाडु ने तो बहुत पहले से अपने यहाँ त्रिभाषा फार्मूले के स्थान पर द्विभाषा फार्मूला लागू कर तमिल और अंग्रेजी को स्वीकारते हुए हिन्दी को सिरे से नकार दिया था। भाषाई द्वेष के चलते आप लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट भले ही कबाड़ सकते हो, लेकिन घृणा की राजनीति की भी आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तमिल संगमम आयोजित कर वहाँ तमिल विद्वानों को आमंत्रित कर उनका मान-सम्मान किया था।

इस मामले में मप्र साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे की राय प्रमाणिकता और तथ्यों पर आधारित है। वे कहते हैं- हिन्दी, तमिल और संस्कृत सभी हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। संस्कृत ने सदैव दक्षिण की भाषाओं को माँ की तरह पोषण दिया है।

दक्षिण की भाषाओं में नाभि नाळ सम्बन्धम जैसे शब्दयुग्म सहज लोक प्रचलित हैं। स्टालिन के आराध्य के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व से यह नाभि नाळ संबंध बना हुआ है। 'वाल्मिकी रामायण' प्रथम राम कथा है। संस्कृत के बाद उसका प्रथम अनुवाद 'कम्ब रामायण' है, जो दक्षिण के संस्कृत से जुड़ाव का प्रतीक है। तमिलनाडु में रामायण के प्राचीनतम संदर्भ हमें संगम कालीन साहित्य में मिलते हैं।

सप्रे संग्रहालय के निदेशक और दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका 'कर्मवीर' के डिजिटल संस्करण के संपादक अरविंद श्रीधर मानते हैं कि तमिलनाडु अथवा किसी भी दक्षिणी राज्य में हिन्दी का विरोध केवल सियासत के लिए किया जाता रहा है। यह आज से नहीं सालों से हो रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के हालिया बयान ने तो संस्कृत को भी इस विवाद में लपेट लिया है, जबकि आम धारणा के अनुसार दक्षिण भारतीय भाषाएँ संस्कृत के ज्यादा निकट हैं। राजनीतिज्ञ अपनी वोट बैंक की मजबूरी के चलते भाषाई सौहार्द पर बात करें या न करें, समाज के बुद्धिजीवियों को जरूर इस पर बात करनी चाहिए। भाषाई सौहार्द ही हिन्दी की स्वीकार्यता का विस्तार कर सकता है।

भाषा युद्ध की चेतावनी को लेकर अपने सामयिक आलेख में सुधि पत्रकार और राजनीतिक मामलों के टिप्पणीकार अजय बोकिल ने दो टूक लिखा है- हिन्दी को लेकर तमिलनाडु का विरोध १९३७ से है। वह देश में अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ शालाओं में राजभाषा और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले रही हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है, जो तमिलनाडु के बाहर अन्य

राज्यों में नौकरी-धंधा करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि विद्यार्थी निजी स्तर पर हिन्दी सीख रहे हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षा में तमिल विद्यार्थियो की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है।

निहितार्थ यही कि तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध मुख्यत: राजनीतिक है और द्रविड़ राजनीति की प्रासंगिकता को बनाये रखने की चेष्टा भर है।

प्रकारांतर से यही बात मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गट्टानी की फौरी प्रतिक्रिया में भी झलकती है- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान के मूल में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ हैं। स्टालिन भले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ द्रमुक के शीर्ष नेता हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिये कि जब दक्षिण की भाषाएँ संस्कृत से नष्ट नहीं हुईं तो उत्तर भारत की भाषाएँ कैसे नष्ट हो गईं? न तो स्टालिन की छवि राष्ट्रीय नेता की है और न ही उनका दल राष्ट्रीय स्तर का है। अत: ऐसे बेतुके राजनीति से प्रेरित उनके वक्तव्य को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।

हिन्दी सेवियों की स्वैच्छिक संस्था 'हिन्दी परिवार' के संस्थापक अध्यक्ष हेराम वाजपेयी के तेवर तो और भी गरम हैं- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भाषा और संस्कृति का इतिहास मालूम नहीं है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन जो अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता वह दूसरे की माँ को क्या सम्मान देगा?

स्टालिन चुनावी हथकंडा अपनाकर राजनीतिक मंसूबा पूरा करने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। पूरे देश को उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य का विरोध करना चाहिए। 'हिन्दी परिवार' इन्दौर के महासचिव संतोष मोहंती भी इस विवाद को पूरी तरह राजनीतिक मानते हुए कहते हैं कि वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए ही यह भाषाई मुद्दा उठाया गया है।

आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक, कवि, लेखक एवं स्तंभकार संदीप श्रोत्रिय भाषा की गरिमा को रेखांकित करते हुए कहते हैं- कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा को नष्ट नहीं करती, बल्कि वे साथ-साथ चलते हुए एक दूसरे को समृद्ध ही करती हैं। लेकिन जब राजनीति सतह पर आती है तो राजनेता एक दूसरे को शत्रु की तरह दिखाने और भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करने से भी नहीं चूकते। मैंने नई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान में संस्कृत के समाचार वाचक बलदेव आनंद सागर से तमिलनाडु में त्रिची से आये संवाददाता को इस मुद्दे पर कई दिनों तक लड़ने की हद तक बहस करते देखा है कि द्रविड़ संस्कृत से ज़्यादा पुरानी भाषा है।

वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार डॉ. रामवल्लभ आचार्य हिन्दी भाषा के महात्म्य को लेकर पूर्णत: आश्वस्त हैं। उनका कहना है- स्टालिन महाशय के राजनीति प्रेरित बयान से विचलित होने की जरुरत नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व क्षेत्रवाद की राजनीति पर ही टिका है। यदि दक्षिण भारत के लोग आज के आधुनिक युग में हिन्दी का विरोध करने के बजाय उसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं तो इससे उनका ही भला होगा। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से उनकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। त्रिभाषा फार्मूला किसी पर हिन्दी थोपने की वकालत नहीं करता, इसलिए सारी आशंकाएँ निर्मूल हैं।

लघु कथा शोध केंद्र के सचिव घनश्याम मैथिल 'अमृत' के अनुसार तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य वर्षों से हिन्दी के विरोध की ओछी राजनीति कर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन का बयान पूर्णत: राजनीति से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्कृत तो भारत वर्ष की भाषा ही नहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत और सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है। कोई माँ भला अपनी संतानों का अहित कर उन्हें नष्ट कैसे कर सकती है? जब सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ समृद्ध होंगी तभी तो हिन्दी समृद्ध होगी। हमारी भाषाओं और बोलियों का असल नुकसान तो अंग्रेजी ने किया है, जो हिन्दी की जगह देश की सम्पर्क भाषा बन बैठी है।

वरिष्ठ साहित्यकार पं. प्रभु दयाल मिश्र भी ताजा भाषाई विवाद से व्यथित हैं- स्टालिन की उत्तर भारतीयों में फूट डालने की कुटिल चाल सभी भारतीय अच्छी तरह से समझते हैं। तमिल भाषा और संस्कृति का कोई विरोध उत्तर भारत में नहीं है। यह भेद बुद्धि हेय और अपराध भाव जनित ही है जिसे समस्त सच्चे भारतीय बखूबी समक्षते हैं।

आकाशवाणी के समाचार संपादक संजीव शर्मा भाषा को कल-कल बहती नदी की तरह मानते हैं जो अपने प्रवाह क्षेत्र में जीवनदायिनी होती है लेकिन आगे बढ़ते हुए किसी और बड़ी नदी के सहारे या स्वयं समुद्र में मिल जाती है। कुछ यही हाल आंचलिक भाषाओं का है। वे अपने क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित हैं और विकास एवं विस्तार के क्रम में हिन्दी में व्यापक रूप से घुल मिल गई हैं।

भाषा कोई जमींदार या क्रूर शासक नहीं है जो कमजोर को दबाने का प्रयास करे। बल्कि हिन्दी तो माँ के आंचल सी है ममतामयी, सभी को समाहित और सम्मान करने वाली। यदि कोई क्षेत्रीय भाषा विकास की इस दौड़ में पीछे रह गई है तो उसका ठीकरा हिन्दी पर नहीं फोड़ा जा सकता।

कवि, कथाकार, व्यंग्यकार गोकुल सोनी अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि तमिलनाडु में हिन्दी भाषियों के प्रति जितना द्वेष का भाव अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लोगों में है,

उतना वहाँ के शिक्षित लोगों में नहीं है। वे टूटी फूटी अंग्रेजी गर्व से बोल सकते हैं पर हिन्दी से उनको बैर है। १९९९ में मैं सर्वभाषा सम्मेलन में भाग लेने बैंगलोर गया था। वहाँ देश के हर राज्य से १५-२० साहित्यकार आये थे। मध्यप्रदेश से भी हम एक दर्जन साहित्यकार थे। आयोजन स्थल पर हमें यह देखकर घोर निराशा हुई कि लंबे चौड़े बैनर पर करीब १५ भाषाओं में 'सर्व भाषा सम्मेलन' लिखा था, पर उसमें हिन्दी गायब थी।

हिन्दी की उपेक्षा से हमें इतनी पीड़ा हुई कि हमने एक साथ खड़े होकर विरोध करने तथा सम्मेलन का बायकाट करने का निर्णय किया। तब वहाँ मौजूद मुख्यमंत्री को स्वयं माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने वायदा किया कि मध्यांतर के बाद आपको बैनर पर हिन्दी में नाम लिखा मिलेगा लेकिन मध्यांतर के बाद हमें हिन्दी में नाम लिखा हुआ तो मिला परंतु सबसे नीचे और छोटे अक्षरों में। कहने का अर्थ यही कि राजनेताओं ने हिन्दी के प्रति घृणा के बीज वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के मन में बो दिये हैं।

व्यंग्यकार डॉ. हरीशकुमार सिंह का मानना है कि स्टालिन ने हिन्दी द्वारा संस्कृत सहित २५ भारतीय भाषाओं को निगलने की बात राजनीतिक पैंतरे के रूप में कही है। हिन्दी को थोपने का आरोप तब सही माना जाता जब नई शिक्षा नीति में हिन्दी सीखना अनिवार्य किया जाता।

एक अन्य व्यंग्यकार प्रेमचंद द्वितीय के अनुसार तमिलनाडु के सीएम का बड़बोला बयान दशकों से हाशिये पर पड़े भाषाई विवाद को हवा देने वाला है। देश के ५३ करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा हिन्दी है, वहीं विश्व में ६४ करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं। अब तो वक्त हिन्दी के विरोध का नहीं, वरन आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने का है।

शाश्वत सृजन के संपादक और साहित्यकार संदीप सृजन कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिन्दी विरोधी आंदोलन केवल राजनीति तुष्टिकरण का खेल है। हिन्दी की मंशा कभी अन्य भाषाओं को खत्म करने की नहीं रही है। रही बात संस्कृत की तो उसका व्याकरण संसार के श्रेष्ठतम व्याकरण में आता है, जो हर भाषा को पुष्ट कर सकता है।

उज्जैन के लेखक एवं स्तंभकार सुभाष चंद्र जोशी भी इस बात से सहमत हैं कि तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से भयभीत स्टालिन का वक्तव्य अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास मात्र है।

दुष्यंत स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संयुक्त सचिव और अध्येता सुरेश पटवा को लगता है कि यह शुद्ध राजनीति है। उत्तर दक्षिण विभाजन बहुत पुराना है। इसमें आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार सहित भाषा विवाद पुराने ज़माने से जुड़ा है। पचास से

अधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कर चुके दिनेश मालवीय 'अश्क' इसे केवल एक तुच्छ राजनीतिक चाल मानते हैं।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं दोहाकार प्रभु त्रिवेदी का अभिमत है कि हिन्दी के प्रति राष्ट्रीय अनुराग और उसके बढ़ते हुए वैश्विक प्रभुत्व को देखकर स्टालिन जैसे क्षेत्रीय राजनेता को क्षुद्र राजनैतिक बयानों से परहेज़ करना चाहिए। अन्यथा वह समय दूर नहीं, जब सनातन के साथ संस्कृत और हिन्दी दोनों का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा।

इसके विपरीत अखिल हिन्दी साहित्य सभा, अमरावती की संस्थापक अध्यक्ष शीला डोंगरे तमिलनाडु के हिन्दी विरोध को जायज ठहराती हैं, क्योंकि यह राज्य की भाषाई पहचान, सांस्कृतिक अधिकारों और संविधान द्वारा प्रदान किए गए संघीय ढांचे से जुड़ा मसला है। उनके लिए यह विरोध अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने की कोशिश है।

हालाँकि वे यह भी कहती हैं कि राष्ट्रीय एकता और संवाद के दृष्टिकोण से हिन्दी को एक साझा भाषा के रूप में बढ़ावा देना समझदारी हो सकती है। इसलिए, इस विरोध को जायज या नाजायज कहने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि हम राज्य की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, और संवाद के माध्यमों के बीच संतुलन बनाए रखें। दोनों पक्षों के तर्कों में कुछ वैधता है और समाधान किसी सामंजस्यपूर्ण समझौते पर आधारित होना चाहिए।

बहरहाल, कुल मिलाकर विडम्बना यही है कि आज़ादी के ७८ साल बाद भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाना तो दूर; भारत में ही जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोग उस पर अन्य भाषाओं को नष्ट करने के बरगलाने वाले आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे..! यह कड़वा यथार्थ आँखें खोलने वाला भी है और आक्रोशित करने वाला भी..!!

-भोपाल

एकता की मधुर धुनः भाषाई सौहार्द

चन्द्र प्रकाश 'गुरु'

जब बोलियाँ बदलती हैं, तो लहजा बदल जाता है; पर दिलों की धड़कनें एक जैसी रहती हैं। भारत अपनी भाषाई विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर कुछ सौ किलोमीटर पर भाषा और बोली का रूप बदल जाता है, लेकिन दिलों की भाषा एक ही रहती है—आपसी सम्मान और सौहार्द की। यह विविधता हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, परंतु इसकी असली शक्ति तभी सामने आती है जब हम सभी भाषाओं को बराबर सम्मान दें और उन्हें जोड़ने का माध्यम बनाएं, विभाजन का कारण नहीं।

भाषाई विविधता :भारत की पहचान- भारत में संविधान द्वारा २२ भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जबकि लगभग १९५०० बोलियाँ प्रचलन में हैं। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, ओड़िया और मलयालम जैसी भाषाएँ करोड़ों लोगों की मातृभाषा हैं। इसके अलावा असंख्य क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाएँ भी यहाँ की सांस्कृतिक बुनावट में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

इतनी बड़ी भाषाई विविधता के बावजूद, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और भावनाओं का संवाहक भी है।

भाषाई सौहार्द का अर्थ और महत्वः भाषाई सौहार्द का मतलब है सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भाषा को श्रेष्ठ या हीन न माना जाए। जब हम दूसरों की भाषा को समझने और उसका आदर करने का प्रयास करते हैं, तो न केवल संवाद आसान होता है, बल्कि आपसी रिश्तों में विश्वास और आत्मीयता भी बढ़ती है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाई सौहार्द राष्ट्रीय एकता की नींव है। यह हमें सिखाता है कि अलग-अलग भाषाएँ हमारी विविधता हैं, लेकिन हमारी पहचान एक है—भारतीय।

संवैधानिक प्रावधान- भारतीय संविधान ने भाषाई सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। यथा-

अनुच्छेद ३४३ के तहत हिंदी को राजभाषा और अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा का दर्जा।

अनुच्छेद २९ और ३० में भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की रक्षा।

आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को संवैधानिक संरक्षण।

तीन-भाषा सूत्र के माध्यम से शिक्षा में मातृभाषा, अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेज़ी के अध्ययन को प्रोत्साहन।

चुनौतियाँ- भाषाई क्षेत्रवाद- किसी एक भाषा को अत्यधिक प्राथमिकता देने से अन्य भाषाई समुदायों में असंतोष।

शिक्षा और रोजगार में भाषा की बाधा - किसी भाषा विशेष को प्राथमिकता देने से अवसरों में असमानता।

भाषाओं का विलुप्त होना- छोटी भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व संकट में।

तकनीकी और आर्थिक असमानता- कुछ भाषाओं का डिजिटल और व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रभुत्व।

सौहार्द कायम रखने के उपाय-

शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देना और साथ ही अन्य भाषाओं का अध्ययन।

अनुवाद और साहित्यिक आदान-प्रदान के माध्यम से भाषाओं को जोड़ना।

मीडिया में सभी भाषाओं के लिए समान अवसर। विभिन्न भाषाई राज्यों के बीच सांस्कृतिक उत्सव और आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना।

सरकारी नीतियों में संतुलन, ताकि भाषा के आधार पर भेदभाव न हो।

भाषाई सौहार्द- राष्ट्रीय एकता का आधार-भारत की 'एकता में विविधता' का आदर्श तभी साकार होगा जब भाषाएँ हमें जोड़ने का माध्यम बनें। अलग-अलग भाषाओं में गाए गए गीत, लिखी गई कविताएँ और सुनाई गई कहानियाँ यह दर्शाती हैं कि भावनाएँ और संस्कार एक जैसे हैं, बस उनकी अभिव्यक्ति का रूप अलग है।

महात्मा गांधी ने कहा था—

हर भाषा अपने आप में एक खजाना है, और हमें इस खजाने को खोना नहीं चाहिए।

यह विचार ही भाषाई सौहार्द की वास्तविक आत्मा है।

निष्कर्ष - भाषा मनुष्य की पहचान और संस्कृति की धरोहर है। जब हम एक-दूसरे की भाषाओं का सम्मान करते हैं, तो हम एक-दूसरे की भावनाओं और संस्कारों को भी स्वीकारते हैं। भारत में भाषाई सौहार्द सिर्फ सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रगति की अनिवार्य शर्त है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भाषाएँ प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और समझ का माध्यम बनें—तभी भारत वास्तव में सशक्त और एकजुट रहेगा। -जनूथर (झालावाड़)

विविधता में एकता की नींव

डॉ.यशोधरा भटनागर

भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाई सौहार्द केवल एक सांस्कृतिक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें हम भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और परंपरा का वाहक मानते हैं और फिर भी भाषाओं की विविधता को विभाजन का नहीं, बल्कि सौंदर्य और शक्ति का स्रोत समझते हैं।

भाषा: संवाद से संवेदना तक

भाषा केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों का पुल है। एक बच्चा अपनी माँ की बोली में जो स्नेह पाता है, वही भाषा उसके मन में आत्मीयता और अपनापन भर देती है। जब हम किसी की भाषा का सम्मान करते हैं, तो हम उसके अस्तित्व और अस्मिता को मान्यता देते हैं। यह स्वीकार्यता ही सौहार्द का पहला कदम है। एक बार गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में एक तमिल मजदूर से मिले। उन्होंने उससे अंग्रेज़ी में बात करने की बजाय टूटी-फूटी तमिल में सपडु आचु (खाना खा लिया) पूछा। मजदूर की आँखों में चमक आ गई क्योंकि उसकी भाषा में उससे बात करना, उसके दिल तक पहुँचना था।

भारत की भाषाई विरासत

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में आज २२ भाषाएँ मान्यता प्राप्त हैं, परंतु देश में सैकड़ों बोलियाँ, उपभाषाएँ और क्षेत्रीय भाषाएँ जीवंत हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक भाषा का स्वर बदलता है, पर भाव एक ही-हम भारतीय हैं।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' का कथन है-

भाषा राष्ट्र की आत्मा है; उसकी विविधता, उसकी समृद्धि का प्रमाण है।

भाषाई सौहार्द की आवश्यकता

राष्ट्रीय एकता के लिए- भाषा के आधार पर विभाजन और विवाद, एकता की भावना को कमजोर कर सकते हैं।

संस्कृति संरक्षण के लिए - प्रत्येक भाषा अपने भीतर साहित्य, गीत, लोककथाएँ और ज्ञान का भंडार लिए होती है।

सामाजिक सद्भाव के लिए - जब हम किसी की भाषा को अपमानित करते हैं, तो हम उसके समुदाय को ठेस पहुँचाते हैं। सम्मानजनक व्यवहार सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करता है।

मुंबई के एक टैक्सी चालक ने एक यात्री से कहा- साहब, मैं आपकी मातृभाषा नहीं जानता, पर कोशिश करूँगा और उसने मोबाइल से गूगल ट्रांसलेट में 'धन्यवाद' ढूँढकर कहा। इतना भर कहने से उस यात्री का चेहरा खिल उठा। भाषा दिल से बोली जाए तो दूरी घट जाती है।

भाषाई टकराव के खतरे

इतिहास साक्षी है कि भाषाई विवाद कई बार सामाजिक अशांति का कारण बने हैं।

यदि भाषा को श्रेष्ठता और हीनता के तराज़ू में तौला जाए, तो यह संवाद की जगह दूरी पैदा कर देती है। हिंदी-गैर-हिंदी विवाद या राज्यीय भाषाओं को लेकर आंदोलनों ने यह सिखाया कि जब तक हम भाषा से ऊपर मानव को नहीं रखेंगे, सौहार्द संभव नहीं।

भाषाई सौहार्द के उपाय

बहुभाषिक शिक्षा - विद्यालय स्तर पर मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं की बुनियादी शिक्षा।

अनुवाद व साहित्यिक आदान प्रदान -एक भाषा का श्रेष्ठ साहित्य दूसरी भाषाओं में पहुँचाना।

मीडिया की भूमिका - टीवी, रेडियो, फिल्म और सोशल मीडिया में भाषाई विविधता को बढ़ावा देना।

सम्मानजनक संवाद - सार्वजनिक जीवन में, कार्यालयों में और यात्राओं के दौरान स्थानीय भाषा के प्रति सम्मान का भाव रखना।

भाषामित्र कार्यक्रम- एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य की भाषा और संस्कृति से जोड़ने वाली पहल।

भाषाई सौहार्द और आधुनिक युग

डिजिटल युग में, भाषा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सोशल मीडिया पर मिश्रित भाषाओं का प्रयोग आम हो गया है जैसे हिंदी में अंग्रेज़ी शब्द या तमिल में हिंदी वाक्यांश। यह मिश्रण अगर सम्मान और समझ के साथ हो, तो यह भाषाई पुल बन सकता है। तकनीक के माध्यम से हम क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार दोनों कर सकते हैं। यथा- *चारलेमेन कहते थे-*

दूसरी भाषा सीखना, दूसरा चेहरा और
दूसरी आत्मा हासिल करने जैसा है।

भाषाई सौहार्द का अर्थ

सौहार्द का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा छोड़ दें बल्कि यह है कि हम अन्य भाषाओं को भी वही सम्मान दें, जो अपनी को देते हैं। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से उसकी भाषा में नमस्ते या वनक्कम कहते हैं, तो केवल शब्द नहीं, बल्कि दिल भी जुड़ते हैं। इसलिए, भाषा की विविधता को दीवार नहीं, इंद्रधनुष मानें,जहाँ हर रंग अपनी जगह पर सुंदर है और मिलकर एक अद्वितीय चित्र रचता है। -देवास

सामाजिक एकता भाषाई सौहार्द से ही संभव

- डॉ. कविता मल्होत्रा

भारत एक बहुभाषीय देश है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों की विविधता उसे अभिन्न बनाती है।भाषाएँ जल के समान होतीं हैं जो भौगोलिक सीमाओं की कोई भी बाधा स्वीकार नहीं करतीं।

जिस प्रकार एक नदी विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लाँघकर अंततः सागर में एकाकार हो जाती है, ठीकक उसी प्रकार भाषाएँ भी ख़ान-पान और रहन-सहन की अनेकानेक विविधताओं को लाँघकर साहित्यिक महासागर में प्रवेश कर लेतीं हैं।

भारत का भाषायी परिदृश्य विश्व में सबसे अनूठा है। भारत में भाषायी विविधता से एकता के सूत्र मिलते हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य में भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी सूत्र समाहित हैं।

भारतीय भले ही भाषायी आधार पर अलग पहचान रखते हों लेकिन सभी भारतीय एक ही माँ की संतान हैं।

भारतीय भाषा दिवस भारत माता के विराट रूप के सौहार्दपूर्ण स्वरूप का प्रमाण है।भाषा कला और संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत विभिन्न भाषाओं में समाहित है। संगीत, नाटक, फ़िल्म, साहित्य आदि के रूप में कला की सराहना करना भाषा के बग़ैर संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषा का संरक्षण और संवर्धन करने में अपना सहयोग देना होगा जिससे भाषाई सौहार्द और भाईचारे की भावना बढ़ सके।

उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन भारतीय भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है। भारतीय भाषाओं को नवाचारों से जोड़ने के प्रयास से भाषायी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है और स्थानीय भाषाओं का रुतबा भी बढ़ा है, जो भाषाई सौहार्द के सकारात्मक परिणाम लाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है।

भाषा कोई भी बोली जाए लेकिन प्यार की अभिव्यक्ति तो हर भाषा में एक ही भावना को परिभाषित करती है। समाज में एकता, सद्भावना, सम्मान और समानता की भावनाओं का विकास भाषाई सौहार्द से ही संभव है।

-नई दिल्ली

आपसी प्रेम से बढ़ेगा भाषाई सौहार्द

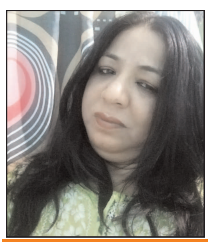

सीमा ज़हूर

वर्तमान भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत का भाषाई परिदृश्य विश्व में अपना एक अनूठा स्थान बनाये हुए है। यहाँ विभिन्न भाषाओं का समन्वय मिलता है जो विश्व में एक अलग ही मिसाल पेश करता है।

विश्व में भाषाई आधार पर राष्ट्र विभाजन के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे यूरोप के देशों का उदाहरण या पकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के प्रमुख कारणों में से एक भाषायी सौहार्द की विफलता या गिरावट रही तो दूसरी तरफ भारत मेंभाषाई विविधता में एकता के सूत्र मिलते हैं। गंगा जमुना के मिलन की यह संस्कृति एक अलग ही मुकाम प्रदर्शित करती है। विभिन्नता में एकता की इससे बड़ी मिसाल हो ही नहीं सकती।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य में भारतीय संस्कृति के समन्वकारी सूत्र मिलते हैं। वर्तमान समय में जब नए भारत के निर्माण हेतु आत्मनिर्भरता के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, तब भाषाई दृष्टि से भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस २०२१ समारोह में कहा भी था कि आत्मनिर्भर शब्द केवल उत्पादन, वाणिज्यक संस्थाओं के लिए नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर शब्द भाषाओं के बारे में भी होता है।

भाषायी आत्मनिर्भरता के सहारे हम आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार कर सकते हैं और इसके लिए भाषाई सौहार्द का होना आवश्यक है और इस हेतु हमें भारत में रहने वाले विभिन्न संस्कृति के लोगों के द्वारा लिखित साहित्य को प्रोत्साहन देना होगा, फिर चाहे वह उर्दू भाषा हो, पंजाबी या बंगाली इत्यादि कोई अन्य भाषा हो। प्रत्येक राज्य की भाषा को हमें एक विशिष्ट स्थान देना चाहिए।

देश के कुछ हिस्सों से नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा भाषाई तथा सांस्कृतिक आधार पर अस्थिरता पैदा करने के असफल प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे में हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी गंगा जमुनी संस्कृति को क़ायम रखते हुए प्रेम एवं सौहार्द के परचम को लहराना चाहिए और विभिन्नता में एकता की अपनी मिसाल फिर से पूरे विश्व में दिखानी चाहिए तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर व विकसित बन सकता है। तात्पर्य यह है कि भारत में रंग-रंग के फूल हैं और सभी फूल यहाँ पर खुशबू बिखेरते हैं। पहचान तो भारत की विभिन्नता में एकता से ही है।

आओ एकता की जोत जलायें।
भारत को अपना स्वर्ग बनायें।।

-सहारनपुर

भाषायी सौहार्द राष्ट्रीय विकास की कड़ी

सतीशचंद्र 'सतीश'

विविध रंग रूपों, जीवन शैलियों, भाषाओं, संस्कृतियों की भिन्नताओं के होते हुए भी सम्पूर्ण धरती के मानव समूह, मानव समाज के प्रत्यय में एकमेव हो जाते हैं। पुरातन काल में आहार एवं तात्कालिक उपलब्ध सौख्य साधनों की छीना-झपटी के लिए हो रहे संघर्षों के बावजूद उस समय के मनीषियों ने बसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया था, उसका अर्थ विस्तार मात्र मानव जाति तक ही सीमित नहीं था, उसमें ही समस्त प्राणी जगत और प्राकृतिक संरचनाओं तक को समाहित किया गया था।

जंतु और वनस्पतियों की ही चिंता का संदेह नहीं था, पर्वतों, नदियों, सरोवरों, हवा और मिट्टी भी उस कुटुम्ब के अंग थे। इस विशाल धरती के असंख्य मानव समूहों की अलग-अलग बोलियाँ थीं, भाषाएं थीं, जीवनशैलियां थीं, किंतु इतिहास के दीर्घकाल विविध प्रभुत्व क्षेत्रों के निर्मित हो जाने पर भी किसी भी इतर समूह के उन सीमाओं में शांतिपूर्वक प्रविष्ट होने पर कोई अवरोध नहीं थे। उस सम्मिलन में बोलियां अथवा भाषाएँ बाधक नहीं बनती थीं। सामन्ती राज्यों के खंडहरों पर ही आज के राष्ट्रों के निर्माण हुए हैं, आर्थिक स्पर्धा ने राष्ट्रों के बीच दूसरों के संसाधनों के शोषण और अपनी उपलब्धियों के संरक्षण के संघर्षों को अभूतपूर्व तीव्रता प्रदान कर दी है। पुरातन सामंती समाज में उत्पादन का मुख्य आधार कृषि होने से आर्थिक स्पर्धा में ज्ञान की विशिष्ट शिक्षाओं की आवश्यकता न होने से, भाषा भिन्नता से अंतर नहीं पड़ता था।

आधुनिक विश्व में असंख्य उपभोक्ता मालों का जीवन शैली में शामिल होना उन असंख्य मालों के उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों के विस्तार और उनसे ही राष्ट्रीय समाज की प्रगति की संश्लिष्टता ने रोजगार पाने हेतु विविध तकनीकी शिक्षाओं के ज्ञान हेतु भाषा माध्यमों को भी महत्वपूर्ण बना दिया है। हमारा देश भारत तो भाषाई आधार पर बहुरंगी रहा है। १९४७ में जब हमारे देश ने राष्ट्र के रूप में मूर्त रूप लिया था, देश में ६००० लगभग तो बोलियाँ थी और १९६१ की जनगणना के अनुसार १५४९ मातृभाषाएं थीं, १९५१ में सरकार ने देश के विस्तृत क्षेत्रों में उपयोग की जा रही १४ प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी थी।

एकजुट राष्ट्र के रूप में इतने बहुभाषी विशाल भू भाग को शांतिपूर्ण प्रगति हेतु अग्रसर करना हमारे राजनैतिक नायकों के लिए एक जटिल और कठिन चुनौती रही थी।

हिंदी और उर्दू भले ही उर्दू की लिपि खरोष्ठी रही हो, दोनों की उत्पत्ति भी यहीं हुई है और दोनों के व्याकरण भी एक ही हैं, मात्र थोड़े से अंतर कि जहां हिंदी में संस्कृत से आए शब्दों की अधिकता है, वहीं उर्दू में अरबी फारसी के । इनका विवाद यूं तो देश के विभाजन के साथ ही ठंडा पड़ गया था कि सांप्रदायिक मानसिकता ने उर्दू को पाकिस्तान की भाषा हो जाने से उसे मुसलमान धर्म से जोड़कर ही देखा है और हिंदी को हिन्दुओं की भाषा के रूप में प्रचारित किया है। आज भी वही मानसिकता उर्दू को विधर्मी भाषा कहकर उस पर हमला करती रहती है।

हिंदी हिंदुओं की भाषा चिन्हित करने वालों ने स्वातंत्रयोत्तर काल में प्रांतों का गठन करने में भी विवादों को उग्रता प्रदान की थी, जब प्रशासनिक कार्यों हेतु राजभाषा तय करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय इनकी सांप्रदायिक विषाक्तता का मुख्य निशाना मुसलमान तो लगभग शांत ही था। मात्र जम्मू कश्मीर प्रांत की उर्दू राजभाषा की संतुष्टि से उस समय सर्वाधिक हिंदी विरोधी इतर भाषी हिंदू ही थे, ये द्रविड़ भाषायी मूलक दक्षिण भारतीय ही नहीं, उत्तर भारत के उन हिंदी प्रधान क्षेत्र के थे, जहाँ कम से कम नगरों में तो लोग हिंदी समझते ही थे। उस समय का महाराष्ट्र, हिंदी को राजभाषा बनाने पर तथा भाषायी आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन पर इतना उग्र हुआ कि १९५६ में आंदोलन को शांत करने हेतु पुलिस फायरिंग में मुंबई में ही ८० लोग मारे गए थे, अनेकों घायल हुए। उसी समय गुजराती अपने को भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक समझने लगे और वह भी आंदोलित हो उठे, अतः गुजरात को भी अलग प्रदेश बना दिया गया था। उस समय संपूर्ण देश की संपर्क भाषा तो विदेशी होते हुए भी, अंग्रेजी ही थी, अतः जो लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया, का रोना रोते हैं, वह हिंदी को राजभाषा बनाने पर ही उन ऐतिहासिक विरोधों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उस समय के राष्ट्रनायकों ने बड़ी सूझ-बूझ से राज्यों को अपनी-अपनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देकर तथा उच्चशिक्षा हेतु भी अपनी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित कर पठन- पाठन की अनुमति देकर राष्ट्रीय एकता को बचाने में सफलता पायी थी और इस फार्मूले से ही कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर के निष्कर्ष को, कि भावनाओं की एकता ही राष्ट्र होता है को मूर्तरूप प्रदान कर पाया।

स्वातंत्र समर में सैकड़ों राजशाहियां होते हुये भी भावनाओं की यही एकता भावीराष्ट्र की मूर्ति गढ़ सकी थी, भाषायी आधार पर राज्यों के गठन एवं प्रशासनिक कार्यों को अपनी भाषाओं में करने की सुविधा के बाबजूद, आज भी भाषायी विरोध, जब तब बेहद तीखे होकर जाते हैं। राष्ट्रीय प्रगति और एकता की छबि को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। आज भाषा, मात्र भावनाओं के सम्प्रेषण का माध्यम ही नहीं है, वरन् जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा प्राप्ति एवं रोजगार का भी आधार बन गयी है। ऐसी स्थिति में हर भाषाभाषी

को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में समुचित स्थान पाने हेतु अपना भाषाई माध्यम का चयन करने का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।

अभी कुछ समय से एक राष्ट्र- एक विधान, एक राष्ट्र - एक भोजन, वेशभूषा आदि के साथ एक राष्ट्र एक भाषा नामक अंधराष्ट्र भक्ति उमड़ रही है। यह आज के भाषायी संघर्षों को फिर हवा दे रही है. परिणामत: फिर मराठी भाषाई हिन्दी भाषियों को ठोक पीट रहे हैं । लिहाजा बंगाली मजदूरों को कर्नाटक व तमिलनाडु से ऐसे भागना पड़ गया, मानो वह अपने देश में नहीं, किसी परदेश में हों। अब तो बांग्लाभाषी मुसलमानों को बंगलादेशी घुसपैठिया करार दिया जा रहा है और यह सब उस समूह द्वारा किया जा रहा है जो अखण्ड भारत और राष्ट्रभक्ति का सर्वाधिक जोर-शोर से आलाप कर रहा है। यह हिन्दी के तथाकथित शुद्धिकरण का अभियान चलाते हुये यह इतना भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाषायें और संस्कृतियाँ एक दूसरे के आदान प्रदान से ही परिमार्जित और समृद्ध होती रही है। लिहाजा उनका तथाकथित शुद्धतावादी अभियान तो हिंदी भाषा को ही विकलांग बना देगा।

कोई भी भाषा किसी अंतर भाषायी समूह पर थोपने का परिणाम पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन जाने के रूप में हम देख ही चुके हैं। राष्ट्र की एकता को सुदृढ करने हेतु सभी नागरिको की भावनात्मक एकता सर्वाधिक आवश्यक शर्तें हैं, इसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरू में ही अपने दृष्टिकोण में शामिल किया था। उन्होंने १९५७ में कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दायित्व न केवल भारत का आर्थिक विकास है, बल्कि उससे भी अधिक भारत के लोगों का मानसिक और भावनात्मक एकीकरण का है। यदि भाषा संप्रदाय आदि की विविधता को ही लेकर हम टकराव करते रहेंगे, तो देश की प्रगति क्या होगी, हमारी जो उपलब्धियां हैं वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी।

जिस परिवार में कलह होती है, वह परिवार टूट जाता है, तब इतना विशाल देश इस दुर्गति से कैसे बचा रह सकेगा। अत: देश में विघटनकारी विचारों, वर्गों का सख्ती से दमन करने की आवश्यकता है और सभी भाषायी समूहों को अपनी अपनी भाषाओं का विकास करने की सुविधा देने की जरूरत है, साथ ही एक दूसरे के प्रति भाषागत परायेपन को समाप्त करने हेतु स्कूली शिक्षा से त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की भी पहली आवश्यकता है। त्रिभाषा के अंतर्गत एक उस प्रांत की मातृभाषा, एक अन्य प्रांतीय भाषा, तथा तीसरी भाषा हिंदी और अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में जो पढ़ना चाहे। देश में संस्कृत कहीं भी नहीं बोली जाती, लिहाजा उसे भी वैकल्पिक ही रखने की जरूरत है। इस प्रकार धीरे धीरे दूसरी प्रांतीय भाषाओं के बीच आपसी सौहार्द बढ़ेगा और हिंदी का भी स्वैच्छिक प्रसार होगा । आपसी सौहार्द से ही राष्ट्र की एकता मजबूत होती है और तब सबके विकास के लिए सब तन मन से समर्पित होंगे।

–फर्रुखाबाद (उत्तरप्रदेश)

अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभर रही है हमारी हिंदी

दुर्गेश मोहन

हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी लोकप्रिय भाषा के साथ-साथ वर्तमान काल में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभरकर सामने आयी है । यह भाषा विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ।

१४ सितंबर, १९४९ को इसे संविधान ने राष्ट्रभाषा के रूप में घोषणा तो कर दी लेकिन अफसोस है कि यह अभी भी पूर्णरूपेण राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है । वस्तुत: यह जन-जन की भाषा है । हिंदी भारत के अतिरिक्त नेपाल, श्रीलंका, वर्मा, मॉरीशस व दुबई आदि राष्ट्रों/स्थानों में बोली- समझी जाती है। हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए । यह सरल, रोचक एवं ज्ञानप्रद भाषा है । यही कारण है कि यह जन-जन की भाषा है।

हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसका जो उच्चारण होता है वह उसी तरह लिखी भी जाती है। हिंदी को समृद्ध बनाने वालों में महात्मा गांधी,डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ,सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रवींद्रनाथ टैगोर ,रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है । इसलिए इसे हमें संजोकर रखना चाहिए। यह हर भारतीय का कर्तव्य है । इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी भाषाई सौहार्द में शामिल है। ये दूसरे देशों से जुड़े रहकर भाषा एवं लोक संस्कृति का ज्ञान बांटती है । हिंदी प्राचीन एवं समृद्ध भाषाओं में एक है। भारत की साहित्य एवं लोक संस्कृति हिंदी द्वारा जीवित है।

किसी भी देश को अग्रसर होने में उसकी भाषा की अहम भूमिका होती है। कोई भी देश विकास तभी करता है,जब उसकी भाषा में ही सरकारी कामकाज हो और इसके अतिरिक्त वह जनता की भाषा हो । हिंदी की जननी संस्कृत है । हिंदी में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान है । एक समय था,जब लगभग दुनिया के लोग भारत हिंदी और संस्कृत की शिक्षा लेने आते थे जो हमारे लिए गर्व की बात है । साहित्य हो या लोक संस्कृति भारत हिंदी के बल पर अग्रसर रहा। देश-विदेश के लोग इसकी संस्कृति को अपनाते हैं। देश-विदेश को एक सूत्र में बांधने का जरिया भाषा होती है जो हमारे यहां हिंदी ही है । यह भाषाई सौहार्द की प्रतीक है । अत: जन-जन इसे अपनाता है।

–बिहटा,पटना (बिहार)

भाषाई कट्टरता दे रही देश को चुनौती

मनोरमा पंत

धार्मिक कट्टरता से जुझ रहे भारत में भाषायी कट्टरता देश की अखंडता को चुनौती दे रही है। महाराष्ट्र का ताजा भाषाई विवाद इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह भाषा विवाद मराठी के इतिहास उसकी पहचान और राजनीति से जुड़ गया है।

1960 में मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ जिसमें मराठी भाषा और संस्कृति के विकास पर जोर देने की बात हुई ।यह बात सत्य है कि सबको अपनी भाषा पर अभिमान होता है परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरी भाषाओं का अपमान करें। आज के भाषा विवाद में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के नाम पर गैर मराठी भाषियों के प्रति नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि उन पर हिंसात्मक हमले किए गए। इसी प्रकार गुजराती-कन्नड़, कन्नड़ और हिन्दी विवाद भी देश की गरिमा को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक घटनायें हैं जो भारत की अखंडता, एकता के साथ ही भाषाई सौहार्द को खंडित कर रही है । नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर देश भर में कई प्रयोग हो रहे हैं । देश में 121 भाषा और 1600 से अधिक मातृभाषाएं हैं ।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग सफल रहा। साक्षरता में 31 प्रतिशत का सुधार दिखा। बच्चों में आत्मविश्वास और कक्षा में सहभागिता बढ़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मातृभाषा के साथ उन्हें राजभाषा और अंग्रेजी की भी शिक्षा दी गई । बस्तर में इस प्रयोग के तहत हल्बी के साथ राजभाषा और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है ।सुखद बात यह है कि नई भाषा सीखने के प्रति बच्चे उत्सुक रहते हैं और उस भाषा का सम्मान करना भी साथ साथ सीखते हैं ।फिर केवल राजनैतिक लाभ के लिए केवल अपनी भाषा में बोलने का दबाव क्यों? यह तो सीधे सीधे दुराग्रह है। भारत विविध भाषा और बोलियां का देश है । हमें यह याद रखना चाहिए कि देश की विभिन्न भाषाएं देश को जोड़ती है ना कि तोड़ती। यह कितनी अजीब बात है कि जिस देश में हजारों छात्र-छात्राएं दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और वहां की भाषा को ग्रहण कर अपनी बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहाँ वर्षों रहते हुए वहाँ की भाषा और संस्कृति को अपना लेते हैं । ऐसे में भाषा दुराग्रह की बात करना कुछ अजीब लगता है।

असल में सारी गड़बड़ी भाषा नीति की है। अंग्रेजी शिक्षा, कारोबार तथा राजकाज की भाषा बन गई है। अंग्रेजी भारत की सभी भाषाओं पर भारी पड गई है ।सारा तकनीकी आधुनिक ज्ञान अंग्रेज़ी के माध्यम से ही देश में आ रहा है । हमारे क्षेत्रीय भाषा भाषी अंग्रेजी का विरोध तो कर नहीं रहे जबकि उनकी भाषा भी खतरे की जद में आ रही है ।

अमेरिका जैसे देश भारत में अपना बाजार तलाश कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों को हिन्दी में दक्ष कर रहे हैं पर दक्षिण भारत के तमिलनाडू प्रांत में हिन्दी का विरोध समझ नहीं आता, याद रखें विश्व की प्रत्येक भाषा वहाँ पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो स्थान की विरासत को समझने में सहायक होती है ।

युद्ध, नौकरियों के संकट और प्राकृतिक कारणों से विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने मूल स्थान से उखड़कर दूसरे स्थानों पर बसने की बाध्यता से ग्रस्त-त्रस्त रहता है। इससे उसकी मूल भाषा पर संकट छा जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक दुनियाभर में केवल प्राकृतिक आपदा के कारण ही 25करोड़ लोगों को अपने मूल स्थान से पलायन करना होगा जिनके सामने आजीविका संकट के साथ भाषाई संकट भी होगा । चीन अधिकृत तिब्बत में तिब्बती बच्चों को बाल्यकाल से ही होस्टल में रखकर केवल चीनी भाषा में ही शिक्षित किया जा रहा है । जाहिर है, मकसद है उनको उनकी मूल भाषा से दूर रखना । इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें सोचना पडेगा कि भाषाई सौहार्द से ही विश्व में भाईचारा बढ़ सकता है। अन्यान्य भाषाओं के साहित्य का विभिन्न भाषाओं मे अनुवाद इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है । सब के द्वारा एक दूसरे की भाषा को सीखने की कोशिश ही भाषाओं के बीच पुल बनने का कार्य करेगी ।तभी भाषाई सौहार्द बना रहेगा और आपस में भाईचारा का वातावरण विकसित होगा।

-भोपाल

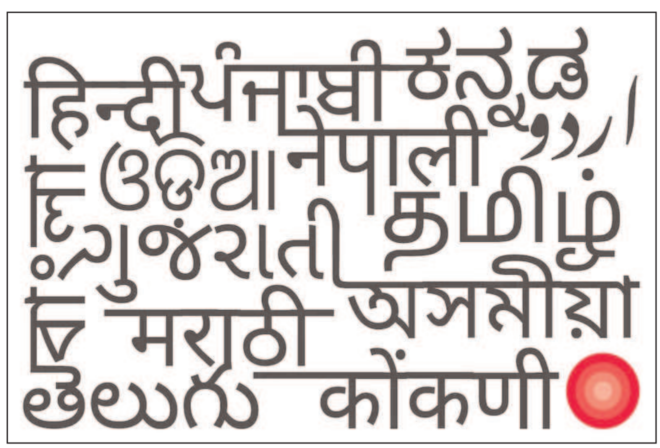

हिन्दी की उपयोगिता

ऊषा सक्सेना

हिन्दी की उपयोगिता आज हमारे लिये कितनी है यह एक ज्वलंत प्रश्न है । मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जिस राष्ट्र की अपनी कोई राष्ट्र भाषा नहीं होती वह कभी दूसरों के समक्ष गर्वोन्नत होकर सिर नहीं उठा सकता । अंग्रेजी ने हमें अब भी अपनी मानसिक गुलामी में जकड़ रखा है। आवश्यकता है इससे आजाद होकर अपनी स्वयं की एक राष्ट्रभाषा चुनने की ।

आज भी हिन्दी को उसका सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिये हम सरकार का राजनेताओं का मुख देखते हैं । एक प्रजातांत्रिक देश में उसके लोगों को उपयोग के लिये उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है । यह अधिकार और कार्य तो जनता का है उसे सरकार के हाथों में क्यों सौंपे । जनता स्वयं अपनी उपयोगिता को लेकर इसका निर्णय करे कि उसे क्या चाहिये?

प्रजातंत्र में भी यह विचार हर कार्य सरकार के मत्थे और हम निरर्थक ! काश हमने अधिकारों के साथ कर्तव्य भी समझे होते और आगे बढ़कर हिन्दी को बढ़ावा दिया होता। हमने तो स्वयं ही अपने बच्चों को जब अंग्रेजियत में पाला है तो उनसे हम क्या उम्मीदें करेंगे । हमने उन्हें हिन्दी से प्रेम करना सिखाया होता, अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ा होता तो हम उनसे यह अभिलाषा भी करते कि वह हमारी संस्कृति के संवाहक बनेंगे ।

बोलियों के भंवर जाल में फंसकर हम भूल गये कि उनकी ना अपनी कोई वर्ण माला है और न व्याकरण ।सभी भाषाओं का उद्गम तो संस्कृत है और सारी भाषाओं का व्याकरण पाणिनी के सूत्र । देवनागरी लिपि और संस्कृत की वर्ण माला को अपनाकर हिन्दी समृद्ध हुई है इसीलिये आज उसका विश्व में तीसरा स्थान है अपनी उपयोगिता के दम पर।

अब भी यदि हम उसके महत्व को ना समझें तो इससे बड़ी नादानी और क्या होगी । मानसिक गुलामी ऐसी कि उसके भंवर जाल में फंसकर एक राष्ट्रभाषा तक नहीं चुन सके। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी एक राष्ट्र की परिभाषा में अनिवार्यता आने वाली एक राष्ट्रभाषा नहीं अपना सके। संपूर्ण देश वासियों को एकता के सूत्र में बांध पाने वाली राष्ट्रभाषा नहीं चुन सके ।हिन्दी को संविधान में राज भाषा बना कर भी राष्ट्र भाषा नहीं बना सके ।

राजनेता अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकने में राष्ट्र का हित भूल गये ।किसी भी राष्ट्र की भाषा उसके लिये गर्व का विषय होती है । राष्ट्र ध्वज के समान ही उसका भी तो अपना एक स्थान है पर हमारे राजनेताओं को केवल अपना हित ही सूझा। राष्ट्र भाषा की बात अंग्रेजियत के रंग में भूलकर हमने अपनी ही मानसिक गुलामी का परिचय दिया ।वह भाषा जिसने संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़कर एकता के सूत्र में बांधा था, आज समय फिर वही मांग दुहरा रहा है । एक स्वतंत्र देश के नागरिक की यदि अपनी पहचान है तो वह उसकी भाषा ही है जिससे वह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है।

यदि हम स्वतंत्र देश के नागरिक होने का गर्व गौरव की गरिमा के साथ पाना चाहते हैं तो सभी के दिलों को जोड़ने वाली समृद्धशाली देवनागरी लिपि वर्णमाला एवं पाणिनि व्याकरण से युक्त हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा पद के लिये चुनना होगा। जनता से बड़ा चुनाव लोकतंत्र में और किसी का नहीं हो सकता । हिन्दी की अपनी उपयोगिता है, हम उसके विश्वव्यापी प्रभाव को भुला नहीं सकते । -मुंबई

भाषा प्रेम

सुरेश सचान पटेल

अपना देश हुआ बहु भाषी।
भाषा प्रेम का है अभिलाषी।
भाषा अपनी सबको प्यारी।
सुंदर हैं यह जग से न्यारी।
भाषाई सौहार्द बढ़ाओ।
देश का मान बढ़ाओ।
इससे बढ़ता भाई चारा ।
प्रेम का फैलता खूब उजियारा।
एकता का है देती नारा।
महान बनाती देश हमारा।
प्रेम की ज्योति जलाओ।
भाषाई सौहार्द बढ़ाओ।
सम्मान सभी भाषाओं का कीजे।
भाषाओं में कभी भेद न कीजे।
भाषा सामाजिक सौहार्द बढ़ाती।
आपस में है खूब प्यार बढ़ाती।
द्वेष और बैर मिटाओ।
भाषाई सौहार्द बढ़ाओ।
सभी भाषाएं बहनें हैं।
भाषाएं जुबां के गहने हैं।
सुर सबके बहुत निराले हैं।
संस्कृति ज्ञान बढ़ाने वाले हैं।
सद्भाव का दीप जलाओ।
भाषाई सौहार्द बढ़ाओ।

-कानपुर

भारत में भाषायी सौहार्द का विशेष महत्व

वल्लभ किशोर शर्मा

जिसे भाषा समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, किसी विशेष भाषा को बोलने, समझने और उसका उपयोग करने वाले लोगों का समूह है। यह समुदाय न केवल भाषा को जीवित रखता है, बल्कि उसकी संस्कृति, परंपराओं और पहचान को भी संरक्षित करता है। भाषायी सौहार्द की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां मौजूद हैं, भाषा सौहार्द का महत्व और भी बढ़ जाता है।भाषा सौहार्द का प्राथमिक उद्देश्य भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। यह समुदाय साहित्य, शिक्षा, और सामाजिकगतिविधियों के माध्यम से भाषा को जीवंत रखता है। उदाहरण के लिए, हिंदी, तमिल, बंगाली, या भोजपुरी जैसे भाषा समुदाय अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

आधुनिक युग में, वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीक के प्रभाव से कई क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। यूनेस्को के अनुसार, विश्व की लगभग आधी भाषाएं इस सदी के अंत तक गायब हो सकती हैं। ऐसे में, भाषा सौहार्द का दायित्व है कि वे अपनी भाषा को डिजिटल मंचों, शिक्षा, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित करें।भाषा सौहार्द को सशक्त बनाने के लिए सरकार, शैक्षिक संस्थान, और सामुदायिक संगठनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

भाषा शिक्षण, साहित्य प्रकाशन, और सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन जैसे कदम भाषा के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। साथ ही, युवाओं को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व और रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। भाषा सौहार्द केवल भाषा का संरक्षण ही नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है। यह हमारी साझा विरासत का प्रतीक है, जिसे संजोना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भाषाई सौहार्द के लिए बच्चों के बौद्धिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण पूर्ण भूमिका निभाती है तथा गुणवत्ता को बढ़ाती है बच्चों का ही नहीं वयस्को का आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने में मदद करती है।

भारत में यूनेस्को के अध्ययनो के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की समझ और सीखने की गति बढ़ाती है और बच्चे आसानी से विचार व्यक्त कर सकते हैं। मातृ भाषा से लुप्तप्राय बोलियां जीवित रहती है विशेष रूप से भारत जैसे बहुभाषी देश में। मातृ भाषा शिक्षण ग्रामीण और जनजातीय समुदायो के विद्यार्थियों को जोड़ती है वे समुदाय की भाषा के साथ अपने प्रदेश और देश की भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

भाषाई सौहार्द के समग्र विकास के लिए सामूहिक प्रयास के साथ सामाजिक, सरकारी नितिगत समर्थन द्वारा भावी पीढ़ियां अपनी भाषाई विरासत से जूड़ी रह सकती है अतः मातृभाषा निति का विस्तार भाषाई विविधता को संरक्षित करने और शिक्षा को समावेशी बनाने कि दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भारत जैसे विशाल देश में जहां भाषा, सांस्कृतिक का आधार है।

भारत एक बहुभाषी देश हैं इसलिए भाषाई सौहार्द बनाए रखने में सरकार की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन अति आवश्यक है क्योंकि भाषा सांस्कृतिक विरासत,धरोहर बचाने के साथ भावी पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़े रखना है इस के लिए सरकार के साथ समुदाय और वर्तमान प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयास अति आवश्यक है। इसके साथ ही विभिन्न भाषा-भाषियों के मध्य एकता और एकजुटता भी बहुत आवश्यक है।

(लेखक संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवा निवृत्त हैं-सं.)

नरसिंहगढ़।

हिंदी की कब तक उड़ेगी चिंदी?

व्यंग्य/संजय पराते

१४ सितम्बर १९४९ को संविधान सभा ने हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाने का निर्णय लिया था। इस दिन की याद में हम पूरे देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी १४ सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस उसी तरह की धूमधाम से मनाया गया, जैसे हिंदू दिवाली और होली का त्यौहार मनाते हैं। दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं और होली में चेहरे बिगाड़े जाते हैं।

हिंदी दिवस पर हम भारतीयों ने ये दोनों काम बखूबी किए, और हिंदी में किया। इतने जतन से किया कि अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच जैसी विदेशी भाषा तो क्या, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगला जैसी भारतीय भाषाओं को भी अपने होने पर शर्म लगने लगी। इससे हिंदी की महत्ता स्थापित हुई।

वैसे इतनी झंझट पालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यदि हमारी संविधान सभा थोड़ा अक्ल से काम लेती और १९४९ में ही हिंदी को राजभाषा के बजाए राष्ट्रभाषा घोषित कर देती। यदि ऐसा हो जाता, तो राष्ट्रमाता के साथ ही हमको राष्ट्रभाषा की लड़ाई न लड़नी पड़ती।

हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपिता के स्थान पर सरकार यदि बापू की जगह सांड को बैठा दें, तो राष्ट्रमाता के लिए हमको लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ेगी। भला बताईए, राष्ट्रपिता के बाजू में राष्ट्रमाता नहीं, तो और कौन बैठेगी? तब हम पूरी ताकत से, तन-मन-धन से, हिंदी की लड़ाई लड़ सकेंगे, निज भाषा के सम्मान के लिए न्यौछावर होने का सुख भोग सकेंगे।

आजादी के बाद कांग्रेस-गांधी-नेहरू ने जिसे न होने देने की जो साजिश रची थी, अमृतकाल में उस साजिश को नाकाम करके हिंदी को सभी भाषाओं का सिरमौर बनाने का दिन देखना शायद हमारे ही किस्मत में नसीब है। इस काम के बाद हम अमृतकाल के जयकारे लगाते हुए २०४७ के स्वर्णकाल की ओर तेजी से कुलांचे भर सकते हैं। न सही २०२५ और २६, साल २०४७ को तो हम हिंदी राष्ट्र दिवस मनाने का सपना पूरा कर सकते हैं।

वैसे भी हमारा नारा है - हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इससे हिंदी का हिंदुओं से संबंध स्थापित होता है। जिस देश में हिंदू बहुमत में हो, उस देश में हिंदी नहीं, तो क्या उर्दू या तमिल राष्ट्रभाषा बनेगी? हमारा देश ५०० साल तक मुस्लिम आक्रांताओं के हमलों का शिकार रहा है। मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला किया और उर्दू ने हिंदी पर। महाषड़यंत्र तो यह था कि न हिंदू बचे, न हिन्दी जीवित रहे लेकिन यह सनातन की ताकत थी कि हिन्दू बचे और अपार बहुमत में है। हमें इसका गर्व है। हम यह कहने की स्थिति में है कि गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। लेकिन ऐसा ही गर्व हम हिंदी के लिए नहीं कर सकते।

हिंदी मुस्लिम आक्रांताओं की मार से कराह रही है। १० शब्दों का एक हिंदी वाक्य बोलो, तो उर्दू के चार शब्द ठूंसे चले आते हैं। पिछले ही दिनों हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगीजी ने विधानसभा में उर्दू के खिलाफ हिंदी में बयान दिया था। मियां तो मियां, भाई लोगों ने भी गिन-गिनकर बता दिया कि उनके बयान में उर्दू के कितने शब्द थे। दूसरे दिन योगीजी पानी-पानी थे, उनको कहीं जल का सहारा भी नहीं मिला। यह हमारे सम्राट की छीछालेदारी नहीं, हिंदी की दुर्दशा का प्रमाण है -- सकल दुर्दशा का। हमारे सम्राट यदि बादशाह होते, तो ऐसी छीछालेदारी नहीं होती।

अब इस कसक से भी पीछा छुड़ाने का समय आ गया है। अमृतकाल में हम देश की बागडोर फिर से उन्हें सौंप सकते हैं। एकदम झटके से न सही, धीरे-धीरे ही सही। व्यापार के बहाने ही सही, व्यापार समझौते के बहाने ही सही। नाराज ट्रंप धीरे-धीरे ही सही, फिर खुश हो रहे हैं, दोस्ती के बयान दे रहे हैं। मोदीजी की चली तो वे यहां आयेंगे, जल्दी से जल्दी आयेंगे, अपनी खड़ाऊँ मोदीजी को पहनाकर अमेरिका से ही हिंदुस्तान पर राज करेंगे। हिंदुस्तान पर राज करने का सपना कईयों ने देखा था, ऐसा इतिहास बताता है। लेकिन मौका कुछ को ही मिला। मुगलों को ५०० सालों तक राज करने का मौका तो मिला, लेकिन रह गए यहीं के होकर। जहां से आए थे, वहां जाने का नाम तक नहीं लिया। यहां का सामान, माल और दौलत वहां ले जाना ही भूल गए। फिर अंग्रेज आए २०० सालों के लिए। व्यापारी बनकर आए थे, मुनाफा कमाने के लिए यहां राज भी किया। लेकिन उनके खून में व्यापार था, सो यहां का सस्ता माल वहां भरते रहे, वहां का माल यहां लाकर महंगा बेचते रहे। वहां से आए थे, तन-मन-धन से वहीं के रहे। कमीनापन नहीं छोड़ा, सो कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। २०० सालों में ही बोरिया-बिस्तर समेटकर जाना पड़ा।

अमृतकाल में हम अब फिर उन्हें बुलाएंगे। कहेंगे कि तुम्हारे खून में व्यापार है और मोदीजी के खून में डंके की चोट पर व्यापार है। दोनों मिलकर खून का इतना व्यापार कर सकते हैं कि व्यापार करते-करते ही दोनों खूनी व्यापारी बन जाएं। भारत खूनाखून हो सकता है। भारत जितना खूनाखून होगा, कॉरपोरेट व्यापार उतना ही चमकेगा।

तब नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा था- तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा। आज मोदीजी की पुकार है- तुम मुझे व्यापार दो, मैं तुम्हे खूनाखून भारत दूंगा। भारत जितना खूनाखून होगा, हिंदी भी उतनी ही मजबूत बनेगी। आज हिंदी व्यापार की भाषा

नहीं है, इसलिए हिंदी कमजोर है। हिंदी को व्यापार की भाषा बनाओ, देखो हिन्दी कितनी जल्दी और कैसी तरक्की करती है। आसमान में कुलांचे भरते हुए न मिले, तो कहना!

इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदी न सही, हिंदी दिवस को तो हमने व्यापार बना ही लिया है। इस दिन के लिए बड़े-बड़े सरकारी फंड आबंटित हो रहे हैं, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए बड़े-बड़े समारोह हो रहे हैं। दूसरी भाषाओं को गरियाया जा रहा है। कोई आक्रांताओं की भाषा है, कोई अनार्य द्रविड़ों की। हिंदी में हिंदू होने का गर्वभाव भरा जा रहा है। हिंदू होने के गर्वभाव से भरे हिंदू हिंदी की जय पताका लिए हिंदी में सांस्कृतिक जागरण कर रहे हैं। चारों ओर राष्ट्रवाद का माहौल है। प्रधानमंत्री ५० करोड़ की गर्ल फ्रेंड को खोज रहे हैं, तो किसी से और कुछ नहीं हुआ, तो अपनी मां-बहन का ही छिद्रान्वेषण कर इस सांस्कृतिक यज्ञ में स्वाहा कर रहा है। अहा, क्या माहौल है!! तुलसी और कबीर के साथ रहीम और रसखान, राही मासूम रज़ा, शानी और शकील बदायूंनी से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह, इकबाल और टैगोर तक -- सभी सड़कों पर खड़े होकर इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नजारे को भौंचक होकर देख रहे हैं। आज उन्हें हिंदुत्व की ताकत समझ में आ रही होगी कि गंगा-जमुनी तहजीब पर वह कितनी भारी है।

हिंदी की असली ताकत हिंदुत्व ही है। हिंदुत्व है, तो हिंदी है। यह बात मायने नहीं रखती कि आजादी के बाद से आज तक जितने पैसे हमने हिन्दी दिवस के नाम पर उड़ाए हैं, उससे तो हर एक भारतीय को साक्षर किया जा सकता था, निरक्षरता का अभिशाप भारत माता के माथे से मिटाया जा सकता था। स्कूल जाने की उम्र वाले हर बच्चे को पहली कक्षा में बैठाया जा सकता था। यह अकादमिक और हिसाबी गणित है, व्यावहारिक नहीं। निरक्षरता मिटाने से, सबको पढ़ने-लिखने का मौका देने से, क्या हिंदुत्व का भला हो सकता है? जितनी निरक्षरता रहेगी, शिक्षा से वंचित लोग रहेंगे, हिंदुत्व का उतना ही भला होगा। तभी हिंदुत्व की कांवड़ ढोने वाले लोगों का जमावड़ा मिलेगा। शिक्षा और साक्षरता लोगों को सनातन से दूर करते हैं। यह हिंदुत्व के लिए घातक है।

हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हमें शिक्षा मिले या न मिले, बेरोजगारी दूर हो या न हो, महंगाई कम हो या न हो, हिंदुत्व का झंडा उठाए रखेंगे। हिंदुत्व ही नहीं बचेगा, तो हिंदू होने का क्या मतलब और क्या मतलब हिंदी-हिंदी करने का। यह तो सियार जैसे हुआँ-हुआँ करना हुआ।

हिंदी की इतनी चिंदी करने के बाद भी इस व्यंग्य में कम-से-कम सैकड़ों लफ्ज़ उर्दू के हैं, उसके लिए मैं अपने आपको लानत भेजता हूं। अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स भी आए होंगे, लेकिन वह चलेगा। आजकल ट्रंप-मोदी भाई-भाई का जमाना जो है। वैसे भी अंग्रेज और अमेरिकी शासकों को हमने अपना दुश्मन कभी नहीं माना था, भले ही वे हमसे दुश्मनों सरीखा बर्ताव करते रहे हो।

-छत्तीसगढ़

नौकरी को दांव पे लगा दिया...!

संजय एम. तराणेकर

हिन्दी का समर्थन करने पर
जिसे अपमानित किया,
धन्य वह बैंक मैनेजर नौकरी
को दांव पे लगा दिया।
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसे
हमने खूब तराशा हैं,
में भारतीय हूँ सिर्फ हिन्दी
में ही बोलूंगी ये आशा हैं।

स्थानीय भाषा व वोट बैंक
के खातिर मुक्त नहीं हुए,
सभी पार्टियों के राजनीतिज्ञ
और नेता संगठित हुए।
हिन्दी का समर्थन करने पर
जिसे अपमानित किया,
धन्य वह बैंक मैनेजर नौकरी
को दांव पे लगा दिया।

महिला अधिकारी के खिलाफ
की कार्रवाई की मांग,
हाँ, कर्नाटक के राजनीतिक
दलों ने खूब रचा स्वांग।
बैंक मैनेजमेंट ने 'दबाव' में
आत्म-समर्पण कर दिया,
हिन्दी बोलने के कारण
प्रियंका का तबादला किया।

हिन्दी का समर्थन करने
पर जिसे अपमानित किया,
धन्य वह बैंक मैनेजर नौकरी
को दांव पे लगा दिया।
बैंक कर्मचारी को उस राज्य
भाषा में बात करनी है,
भारतीय रिजर्व बैंक की कोई
'गाइडलाइन' नहीं है।
जान-बूझकर 'भाषाई' विवाद
बढ़ाना गलत बात हैं,
हिंदी में बात करना हमारे
लिए तो फ़ख़्र की बात है।

(सन्दर्भ-कन्नड़ भाषा ना बोलने पर एसबीआई बैंक मैनेजर का हुआ तबादला।)

-इंदौर

हिन्दी हमारी शान

दोहे/ प्रो(डॉ) शरदनारायण खरे

हिन्दी हितकर है सदा,हिन्दी है अभियान ।
हिन्दी में तो आन है,हिन्दी में है शान ।।

हिन्दी नित उत्कृष्ट है,हिन्दी सदा विशिष्ट ।
हिन्दी अपनायें सभी,होकर के आकृष्ट ।।

कला और साहित्य है,पूर्ण करे अरमान ।
हिन्दी में है उच्चता,मनुज सभी लें जान ।।

हिन्दी का उत्थान हो,हिन्दी का सम्मान
हिन्दी पर अभिमान हो,हिन्दी का गुणगान ।।

हिन्दी तो समृध्द है,हिन्दी है सम्पन्न ।
हिन्दी माने हीन जो,वह ख़ुद पर ही खिन्न।।

हिन्दी में सामर्थ्य है,हिन्दी में है वेग।
हिन्दी तो सचमुच सरल,लिये मधुरता-नेग।।

हिन्दी में अध्यात्म है,हरसाता है धर्म ।
लेखक,कवि जो कह रहे,समझो उसका मर्म ।।

हिन्दी है भाषा बड़ी,संस्कारों की धूप ।
हिन्दी है हितकर सदा,मानें मंत्री,भूप ।।

हिंदी है नव चेतना,गीत और संगीत।
सभी बना लें आज तो,हिंदी को मनमीत।।

हिंदी दमके विश्व में,यही कामना आज।
भाषा बनकर राष्ट्र की,करे उरों पर राज।।

(कवि डॉ. खरे शासकीय जेएमसी महिला महाविद्यालय,मंडला में प्राचार्य है-सं.)

हिंदी हमारा स्वाभिमान

नमिता सेनगुप्ता

हिंदी सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति का,
न पाया अभी भी दर्जा राजभाषा का।
हिन्दी का सर्वथा रहेगा देश में प्रभुत्व,
विश्व में लहरा रहा परचम हिंदी का।

भारत हमारा एक बहुभाषी देश,
विभिन्न बोलियाँ नाना परिवेश।
भाषा संस्कृति सभ्यता की संपदा,
एकता के सूत्र का देता हमें संदेश।

हिंदी सम्मान स्वाभिमान की भाषा,
प्रांत को मिलाने बनी संपर्क भाषा।
रहे भारतवासियों के सदा हृदय में ,
जन गण मन की सदैव अभिलाषा।

संस्कृत ने दिया जन्म है तनया हिंदी,
राष्ट्र के ललाट पर सुशोभित बिंदी।
भीगी माटी की सोंधी सुवास लिए,
साहित्य का असीम पारावार हिंदी।

शब्द शब्द गूँथ कर बनते शब्दकोष,
रचते कालजयी हिंदी साहित्य कोष।
अलंकार व्यंजन से अक्षर मुखरित,
हिंदी की समृद्धता देख मिले परितोष।

- हैदराबाद

हिंदी

डॉ. दिनेश कुमार कोली 'सरस'
-भोपाल

हिंदी से ही, 'हिंदी' हैं हम।
माथे पर की, बिंदी हैं हम।
हिंदी को जो, ठुकराया तो।
रह जाएँगे, चिंदी ही हम।।

हिंदी हमारी, शान है।
हिंदी सकल, पहचान है।
साहित्य, संस्कृति, सभ्यता।
हिंदी में बसती जान है।।

हिंदी को, कुछ ने छोड़ा है।
क्यों इसे, तोड़-मरोड़ा है।
हिंदी ने फिर, भी आकर के।
हिंदुस्ताँ का, दिल जोड़ा है।।

हम बोलते, हिंदी में हैं।
दिल खोलते, हिंदी में हैं।
कुछ भूल गर, जाते हैं तो।
टटोलते, हिंदी में हैं।।

हिंदी में ही, विधान है।
हिंदी में संविधान है।
हिंदी का हमें, ज्ञान है।
तो फिर हमें, कुछ ज्ञान है।।

बिंदी लगाना चाहिए।
हिंदी सजाना चाहिए।
हिंदुस्ताँ में, बसे हैं तो।
हिंदी तो आना चाहिए।।

हिंदी ने जब, कुछ बोला है।
ब्रह्मांड ही, को तौला है।
हिंदी के राग-रंगों ने।
दुनिया का, रहस्य खोला है।।

हिंदी सदैव, अमर रहे।
ये प्रेम-रस, दिल पर रहे।
हिंदी-सागर, में गोते।
लेता ये देश भर रहे।
लेता ये देश भर रहे।।

भाषायी एकता

लतेलिन 'लता' प्रधान

भाषायी सौहार्द का पेड़ लगाएँ
एक दूजे हाथ थाम कड़ी बनाएँ
सौहार्द बन कर ताल मिलाएँ
प्रेम अमन का परचम लहराएँ
राष्ट्रीय एकता मनाएँ

हर इंसां के उर प्रेम जागृत करें
इंसानियत का प्रसाद बाँटें
राग द्वेष छल कपट ना धरें
एकत्र हों पंकज पुष्प बनें
राष्ट्रीय एकता मनाएँ

गरीबों का गुज़ारा बनें
बीमारों का सहारा बनें
कभी प्यासे को पानी पिलाएँ
गर कोई गिर पड़े तो हाथ थाम उठाएँ
राष्ट्रीय एकता मनाएँ

दया भाव करुणा मन भरें
देश की हित कार्य करें
हाथ मिला समर्पण हों जाएँ
भाषायी सौहार्द का पेड़ बन जाएँ
राष्ट्रीय एकता मनाएँ

-छत्तीसगढ़

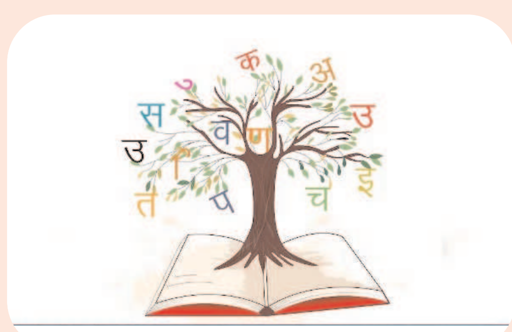

हिंदी राष्ट्र

-कृष्ण वियोगी

बहुत सोये अब जागो हिन्दू
खोइये मत अपनी पहचान।
हम हिन्दी हैं भाषा है हिंदी
देश है अपना हिंदुस्तान।।

जब मुख खोलो हिंदी बोलो
हिंदी ही अपनी भाषा है।
आज यही हर भारतवासी
की सच्ची अभिलाषा है।।

देववाणी जननी हिंदी की
अन्य भाषा छोटी बहिना।
भारतमाता की सब बेटी
मिलजुल के सब ही रहना।।

जिसदिन एकजुट होके हम
हिंदी को देंगे सम्मान।
राष्ट्रभाषा तब होगी हिंदी
हिन्दीराष्ट्र होगा हिंदुस्तान।।

-ग्वालियर

हिंदी-भाषा

डॉ. शेषपाल सिंह 'शेष'

हिंदू हिंदुस्तान में, होता है हर एक।
हिंदी वाणी है मधुर, भाषा किंतु अनेक।
हिंदी हिंदुस्तान की, भाषा दिव्य - पवित्र।
काव्य, गीत, साहित्य का, वितरित करती इत्र।
हिंदी भाषा भव्य है, व्यापक अद्भुत काव्य।
उज्ज्वल-स्वच्छ भविष्य है, महाग्रंथ संभाव्य।
हिंदी की श्री-वृद्धि में, सक्रिय भारतवर्ष।
नित्य नवल-निर्माण का, हर्षपूर्ण संघर्ष।
संस्कृत के सहयोग से, हिंदी का कल्याण।
सफल सतत होगा सदा, सधा विवेकी-बाण।
हिंदी भाषा श्रेष्ठ है, करे राष्ट्र सम्मान।
संस्कृत-पुत्री है प्रथम, हिंदी ज्ञान-निधान।
संस्कृत सिंहासन सजा, बोलें हिंदी नेक।
भाषा ज्ञान विधान है, जाग्रत करें विवेक।
हिंदी भाषा हिंद में, व्यापक स्वतः विदेश।
मधुरिम सस्वर गायकी, देती है संदेश।
हिंदी भाषा रसभरी, उत्तम-श्रेष्ठ-महान।
मधुर कंठ होते ध्वनित, गूंजे हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान विशाल है, बहुभाषी निःशेष।
हर कोई भाषा सरस, हिंदी नेक विशेष।

-आगरा

हिंदी- एकता और संस्कृति का सेतु...

भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति के उत्थान का सेतु भी है। यही कारण है कि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और 26 जनवरी 1950 से इसे देशभर में लागू किया गया। आज हिंदी न केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली धुरी भी है।

-प्रिंस अभिशेख अज्ञानी

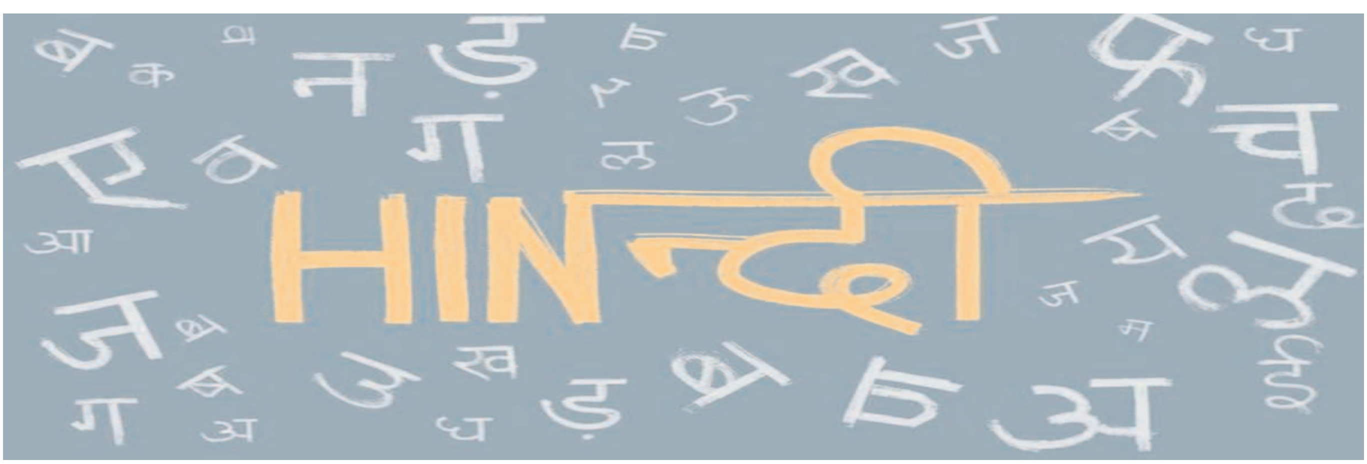

सृजनधर्मी सुरेश खांडवेकर की पार्थिव देह पंचतत्व में लीन

निर्दलीय प्रकाशन के नई दिल्ली स्थित संरक्षक सह सलाहकार श्री सुरेश खांडवेकर जो जाने-माने साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी, सृजनधर्मी व उद्यमी थे, का ५ सितंबर को देव लोक गमन हो गया । उनके असमय चले जाने से ना केवल उनके परिजनों, बल्कि देश के साहित्य एवं उद्योग जगत को गहरा आघात लगा है।

श्री खांडवेकर जी एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी होने के साथ ही संगीत व कला के महान उपासक थे। निर्दलीय के संस्थापक संपादक व वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कैलाश आदमी ने कहा कि उनकी यादें हमेशा निर्दलीय परिवार के साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी मुस्कान, उनकी बातें और उनके साथ बिताए पल हमें हमेशा याद रहेंगे और सदैव हमारी प्रेरणा का स्त्रोत रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि श्री खांडवेकर निर्दलीय के नियमित स्तंभकार थे तथा मासिक निर्दलीय ने अक्टूबर २०२३ में 'ढाई आखर प्रेम के' विषयांतर्गत आलेखों पर केंद्रित विशेषांक का प्रकाशन किया था। उनकी इच्छा थी कि इसका पुस्तकाकार प्रकाशन किया जाए। लिहाजा श्री खांडवेकर की इच्छा को मूर्तरूप देने के लिए निर्दलीय प्रकाशन उनके परिवार के सहयोग से प्रयास करेगा।

श्री खांडवेकर के निधन के इस कठिन समय में निर्दलीय परिवार की संवेदनाएँ उनके परिजनों के साथ हैं और निर्दलीयजन कामना करते हैं कि ईश्वर उनके परिजनों एवं अन्य स्नेहीजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। श्री आदमी ने बताया कि सर्वप्रथम नई दिल्ली स्थित केशव कल्चर परिवार की ओर से संस्था प्रमुख दीप्ति शुक्ला ने निर्दलीय प्रकाशन के भोपाल स्थित मुख्यालय को उनके निधन की जानकारी दी।

श्री खांडवेकर की शवयात्रा आज सुबह पीतमपुरा में सदभावना अपार्टमेंट स्थित उनके आवास से आरंभ हुई और नाहरपुर स्थित शमशानघाट में उनकी पार्थिव देह को पंचतत्व में लीन किया गया। इस अवसर पर उपस्थितजनों में सुदेश खांडवेकर, निलेश खांडवेकर, अभय खांडवेकर, रवि खांडवेकर, आदित्य खांडवेकर,ब्रजेश सोनी, अरुण सोनी, प्रकल्प सोनी, दीप्ति शर्मा, स्वास्ति शर्मा,पल्लवी गवांडे, अक्षत (अक्की) गवांडे, राजेंद्र सोनी, रूपलाल सोनी, सेठ रामनिवास गुप्ता (नियो शूज़),सतीश शर्मा, सौरभ गोयल,पवन गोयल, महेश शर्मा, डिंपल शर्मा,अनीता भारद्वाज, मेघा शर्मा, सतेन्द्र, रजनी सैनी, परवीन सैनी, पुष्पेंद्र, विनेशा, रितिका, राहुल, विशाल श्रीवास्तव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। निर्दलीय प्रकाशन के संस्थापक संपादक कैलाश आदमी और संपादक प्रिंस अभिशेख अज्ञानी ने खांडवेकर परिवार को शोक संदेश भेजते हुए श्रद्धांजलियां अर्पित कीं।

स्वर्गीय सुरेश खांडवेकर जी को काव्यमय भावभीनी श्रद्धांजलि

आलोक क्षितिज का राही, बन गया गगन का तारा।
छुप गया नजर से सबकी, हँसती आंखों का तारा।।

करुणा का सागर मन में, ममता की थी हरियाली।
उपवन महका करता था, जिस बगिया के थे माली।।

थे दानवीर तुम ऐसे, नहीं बात किसी की टाली।
जिस भी पौधे को सींचा, पुष्पित रहती थी डाली।।

थे उच्च विचारों वाले, सच्चे थे सरल हृदय के।
सीधा-सादा पहनावा, उर धारे भाव विनय के।।

साहित्य सृजन- धर्मी थे, पेशे से थे उद्यम धारी।
दिन-रात लिखा करते थे, पर कलम कभी ना हारी।।

गायन, वादन प्राणों में, संगीत- कला के ज्ञाता।
महफिलें जमा करती थीं, सुर - संगम उनको भाता।।

साहित्य - साधना करते, यह यात्रा कर ली पूरी।
अभी काम बहुत बाकी थे, कुछ वांछा रही अधूरी।।

क्यों छोड़ गए वे हमको, यह हृदय आज है भारी।
तुम नहीं दिखाई दोगे, आयेगी याद तुम्हारी।।

विचलित है हृदय हमारा, आँखें सबकी भर आई।
कैसे सह पाएंगे हम, हे मितवा ! तेरी जुदाई।।

कर जोड़ नमन वंदन कर, देते हैं तुम्हें विदाई।
पर नहीं जानते कैसे, क्षति की होगी भरपाई।।

–सरिता गर्ग 'सरि,
सह संपादक, निर्दलीय प्रकाशन

मेरे अभिन्न मित्र सेठ रामनिवास गुप्ता

सुरेश खांडवेकर

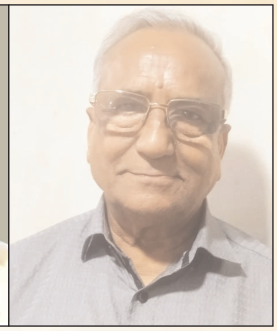

सेठ रामनिवास गुप्ता

कई बार बहुत लंबा और घना परिचय होता है और विकास के कई कोण दिखाई देते हैं तो उनका परिचय किस धारा से शुरू करें समझ में नहीं आता। ऐसे ही हमारे चर्चित मित्र दिल्ली के सेठ रामनिवास गुप्ता हैं जो उद्योग, व्यापार और समृद्धि के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही समाज में सुप्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हैं ।

जीवन को सरल और सहज समझने का यदि सेठ रामनिवास गुप्ता का स्वभाव है तो मेरा भी है, इसीलिए हम आपस में जुड़ते गए। ४५ वर्षों का संबंध कहां से शुरू करें! एक आपात समय हमने यह भी देखा कि जब सेठ जी ने मुझे विश्व हिंदू परिषद के वार्षिक उत्सव हेतु प्रयागराज ले चलने का निश्चय किया तो हम कार से गए। साथ में कुल्फी वाले अशोक कुमार और दो सज्जन अतिरिक्त थे। आधे रास्ते बाद भीषण बरसात हुई और मोटर कार को काफी समय तक रोकना पड़ा। गाड़ी पंचर भी हो गई। उस समय ट्यूबरहित टायर का चलन बिल्कुल नया था और सेठ जी की गाड़ी ट्यूबरहित टायर की थी। पूरा प्रयागराज घूमते रहे। जब त्रिवेणी जाने लगे तो रेतीली जमीन के कारण गाड़ी चलने से मना कर रही थी। जगह-जगह लोहे की शीट्स कार वालों के लिए रखी हुई थी। लगभग 20- 22 घंटे गाड़ी चलती रही और कार्यालय पहुंची। वह दृश्य अभी भी याद आता है।

<u>सेठ जी से पहला परिचय:</u> मोटा मोटी वर्ष १९८७ से मेरा सेठ जी से परिचय हुआ। दीपाली परिक्षेत्र में शाखा के लिए उद्यान में जब स्वयं सेवक एकत्रित होते थे तो कार्यक्रम के उपरांत सेठ जी तरह-तरह के चुटकुले और शेर सुनाते थे। उनको शेरो शायरी कंठस्थ थी जो आज भी है। हर विषय पर उनके पास शेर हाजिर होता। यह अदायगी मुझे बहुत आकर्षित करने लगी परंतु हम साथ साथ नहीं बैठ पाए। जितेंद्र प्रसाद चौरसिया हमें नजदीक लाने के सेतु बने। प्रशासन से सेवानिवृत्त होने के बाद वे मेरे पास काम करने लगे जो दीपाली में ही रहते थे। धीरे-धीरे निकटता बड़ी। उन्होंने अपनी किताब की पांडुलिपि श्रीमान कश्यप को दी। वे भी उनके स्वभाव से आसक्त थे और उन्होंने बीड़ा उठा लिया था कि उनकी किताब वह पूरी करेंगे। विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। कई प्रोफेसरो- लेखकों-प्रकाशकों को उन्होंने अपनी पांडुलिपि दिखाई किंतु उसको किस तरीके से सज्जित करना चाहिए यह समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सारी विषय वस्तु विखंडित थी । उसमें मीरा के भजन, कबीर के दोहे, रहीम के पद और शेरो शायरी, तो कुछ लेख और हरियाणवी चुटकुले, कहावतें भी सम्मिलित थे। इसको अंग्रेजी भाषा में भी भाषांतरित करना था एक-एक शब्द पर अटक रहे थे। अंत में मैंने बीड़ा उठाया। विषय सूची बनाई और 'भारतीय विरासत के निर्झर' शीर्षक से किताब बन गई । उस समय मैं अपना प्रकाशन दिल्ली फुटवियर मार्केट न्यूज़ स्थापित कर चुका था और जितेंद्र प्रसाद चौरसिया जो बड़े मनमौजी और विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे, रक्षा सेवा में काम करते हुए निवृत्त होकर मेरे काम में हाथ बटाने लगे । उन्होंने पांडुलिपि मुझे दी। लेखन सरल किंतु विखंडित था इसलिए लंबे समय तक यही सोचते रहे कि कैसे रास्ता निकले? आखिर रास्ता निकल ही गया। पुस्तक निखर कर सामने आई।

<u>हंसते हुए जीना ही वास्तविक जीना है:</u> उस समय मैं सद्भावना अपार्टमेंट, पीतमपुरा में रहने लगा था। जीवन को समझने का जो विषय मैंने पूर्व में लिखा उसके पीछे धारणा यह थी कि गंभीरता में रखा क्या है ? गंभीरता में डूब के जाओगे तो गंभीरता कभी-कभी निराशा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए स्वभाव होना चाहिए छोटी-छोटी बातों को चुटकुलों के माध्यम से, गपशप के माध्यम से, सरलतम विचारों के माध्यम से, हम सुनते-सुनाते रहे। यही हमें एक दूसरे से एक करता है। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए स्वभाव की गंभीरता को त्यागना चाहिए क्योंकि स्वभाव से गंभीर हो तो मनुष्य के भीतर की मस्ती उमंग और चेतना धीमी पड़ जाती है। ऐसा एक भ्रम पला हुआ है। इसलिए जब कभी हम मिलते हैं तो हंसी-खुशी के साथ ही मिलते हैं और वार्तालाप संपन्न करते रहे हैं।

यहां उनकी दूसरी पुस्तक 'विरासत' के लिए कुछ विषय वस्तु लिखने का प्रयास कर रहा हूं जो हमें एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति गुणी होता है। उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। यदि आप उसे ज्ञान के भंडार में से कुछ अंश को, यानी तिनके तक को भी निकाल लेते हैं तो आप को जीवन में बड़ा संबल मिलता है मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे ही रामनिवास गुप्ता हैं, इनके पास गुणों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग अवगुणों को ज्यादा देखते हैं और कुछ लोग गुणों को। उनको कंठस्थ फिल्मी गाने मौके-मौके पर निकलते हैं जो सबको आनंदित कर कर देते हैं।

सेठ श्री रामनिवास गुप्ता के विकासमान प्रतिष्ठानों के अलावा कई छोटे-मोटे प्रतिष्ठान हैं। सड़कों, विमानतल और ओंकारेश्वर (मेरे गृहप्रांत मध्यप्रदेश का तीर्थ स्थान) जैसे प्रसिद्ध में भी उन्होंने अपनी प्रमुख जिम्मेदारी निभाई है । उनके पुत्र संजीव कारोबार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं जो देश में बड़े राष्ट्रीय निर्माण होते हैं उनमें उनकी भूमिका प्रमुख होने लगी है। उनके प्रमुख संस्थान रामनिवास एंड प्राइवेट लिमिटेड और श्री कृष्णा ग्रुप ग्रिड्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।

तीनों भाइयों की अपनी अलग-अलग भूमिका है। नए-नए प्रतिष्ठान स्थापित कर उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। विशेष बात यह है कि श्री कृष्णा ग्रिड्स लिमिटेड में बहुत बढ़िया काम हो रहा है क्योंकि इसमें जो पत्थर की रीढ़ होती है। इसका निर्माण होता है। यह विशिष्ट प्रकार की होती है। इसमें बनने वाले उत्पादों से तमाम नए-नए एयरपोर्ट पर हवाई जहाज की पट्टी बिछाई जाती है। बड़े पुत्र संजीव गुप्ता को तो ग्रिप्स में जरूरी उत्पादन में अमेरिका से प्रमाण पत्र तक मिला है। वे इतने अच्छे रोडी का उत्पादन करते हैं।

रामनिवास जी कहते हैं- उनकी इकाइयों में पुत्र की दूर दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश की मेट्रो रेल/भूमिगत रेल के लिए भी विशेष लोहे की आपूर्ति की थी। इस तरह कह सकते हैं कि इनका कारोबार देश में चंहु दिशा में फैला हुआ है।

देश के विकास में जन सामान्य का सहयोग दिखाई देता नहीं किंतु उनके सहयोग के बिना उसकी गति नहीं मिल सकती। सेठ रामनिवास गुप्ता एवं उनके परिवार का योगदान आज दिल्ली और देश की औद्योगिक उन्नति दिखाई देता है। सेठ रामनिवास गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी सफलता की कल्पना इसी से की जा सकती है कि दिल्ली के मेट्रो रेल के भूगर्भ मार्ग में (अंडरग्राउंड रेल) उनकी महत्वपूर्ण अपूर्व आपूर्तियां रही हैं। इसके अतिरिक्त उनके बड़े बेटे संजीव गुप्ता नए एयरपोर्ट के निर्माण में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जहां-जहां उन्होंने काम किया, वहां अपना प्रतिबिंब स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय विरासत की निर्झर का प्रकाशन.... सेठ रामनिवास गुप्ता की सर्वप्रथम एक पुस्तक भारतीय विरासत की निर्झर का प्रकाशन सन 2000 में बहुत भव्य और दिव्य स्वरूप में सामने आया। उस पुस्तक का लेखन प्रकाशन बहुत गौरव के साथ हुआ। इसमें मेरा भी योगदान महत्वपूर्ण नहीं तो कम भी नहीं था । वास्तव में इस पुस्तक के संकलन में जो सामग्री एकत्रित की गई वह बहुत महत्वपूर्ण रही और चिर परिचित सामग्री होने के बाद भी लोगों को बहुत अच्छी लगी। पाठकों को भी पाठ बहुत अच्छे लगे। जिन विषयों को हम बाल्यकाल में पढ़ते हैं और फिर जीवन भर भुला देते हैं, अगर वह विषय हमें अपनी प्रौढ़ावस्था में मिल जाए तो वही विषय कोई और आनंद देते हैं। रहमान या कबीर के दोहे उस समय उसकी कुछ अनुभूति और थी किंतु अभी पढ़ते तो उसकी अनुभूति कुछ और मिलती है। यही बात उन्होंने संस्कृति की विरासत में प्रकाशित की है। यही नहीं उन्होंने उस काव्य को अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया है जो साहित्य जगत में उनका मान बढ़ाती है। हिंदी साहित्य जगत में भारतीय विरासत के निर्झर एक अनूठा और ऐतिहासिक ग्रंथ है। जिसके हाथ में जाता है, उसकी प्रशंसा किए बिना वह नहीं रहता।

संस्कार भारती संस्थापक योगेंद्र जी ने पुस्तक का अध्ययन किया और समालोचना की तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सेठ रामनिवास गुप्ता की पुस्तक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध होगी और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई। मैंने जब यह प्रस्ताव रखा कि सेठ जी की पुस्तक भारतीय विरासत के निर्झर एक ग्रंथ के रुप हम लोगों ने प्रकाशित की है और हम चाहते हैं कि उसकी प्रस्तावना आपके करकमलों से हो। फिर एक दिन समय निकालकर लगभग रात भर पूरी किताब उन्होंने पढ़ी-सुनी। इस तरह जब वे इस संकलन से प्रभावित हुए तब उन्होंने अपने हाथों में कलम ली और बड़े सुंदर शब्दों में ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी। इस तरह कह सकते हैं कि श्री गुप्ता सौभाग्यशाली हैं जिनके ग्रंथ पर योगेंद्र जी ने सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित प्रस्तावना लिखी जो बड़ी प्रभावशाली है। यह उनके लिए प्रोत्साहन का विषय तो है ही, साथ ही -साथ इसे आशीर्वाद भी कह सकते हैं अन्यथा हाथों से कौन लिखता है ?

(श्री खांडवेकर के यह विचार जून मासांत २०२५ में दैनिक निर्दलीय में प्रकाशित किए थे- सं.)

श्री खांडवेकर के महाप्रयाण की पटकथा...

मृत्युलोक से अपने महाप्रयाण की पटकथा सुरेश खांडवेकर ने स्वयं ही लिखना शुरू कर दी थी या यूं कहें कि प्रकृति अथवा परमेश्वर ने उन्हें वापस बुलाने इस धारा में उतार दिया था। वे भोपाल स्थित निर्दलीय समाचार पत्र समूह सह प्रकाशन के दैनिक व साप्ताहिक अखबार निर्दलीय और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका निर्दलीय में बतौर मानद सेवायें देते हुए निरंतर लिख रहे थे। उनका नियमित स्तंभ बेहद चर्चित था।

बीते वर्षों में श्री खांडवेकर के लेखन की धारा आध्यात्मिक हो गई थी और तमाम ग्रंथों/शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन व चिंतन, मनन कर अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू निर्दलीय पटल पर उभार रहे थे। वे ग्रंथों-पुराणों में डूब या खो से गए थे और अज्ञात तत्वों-मन, आत्मा-परमात्मा, परलोक, स्वप्न, भविष्य, कर्मफल व अतीत आदि पर बेहद गहराई से सोच-विचार में मशगूल रहने लगे थे।

इन अज्ञात पहलुओं को खोजने या जानने हेतु विभिन्न धाराएं काम करती आईं व कर रही हैं। उनमें आध्यात्म व विज्ञान सर्वोपरि हैं। विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं तो आध्यात्म की अपनी मर्यादा। दोनों के साधक या अन्वेषक अपने-अपने ढंग से अनुसंधान करते हैं लेकिन साम्य यह है कि प्रकृति अथवा परमेश्वर एक सीमा तक ही शोधक को पहुंचने देते हैं, ऐसा मानने के तमाम आधार एवं अनुभव हैं। मेरे एक मित्र व भाषायी गुरु के ज्येष्ठ भ्राता और मोतीलाल विज्ञान शासकीय आदर्श महाविद्यालय, भोपाल की पूर्व/दिवंगत प्राचार्य के पुत्र श्री सिंघल मुंबई में शायद टाटा संस्थान में वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतराल (स्पेस) पर वृहद पैमाने पर अनुसंधान किया और अपनी जारी खोज के अनेक पहलू भोपाल में भी पत्रकारवार्ता आहूत कर साझा किए। उनका मत था- अंतराल (स्पेस) ही अंतिम सत्य है। ब्रह्मांड का कोई भी तत्व या प्राणी कितना भी नजदीक क्यों ना हो अथवा समीप हो जाए, उनमें एक महीनतम फासला होना/रहना अनिवार्य है तथा यही सत्य है। यह खोज करते-करते वे इतने एकाकार हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली या उनका प्राणांत हो गया।

सिद्धार्थ के बारे में प्रचलित है कि जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने प्रश्न उछाला- अब मेरा यहां क्या काम? कहते हैं-सृष्टा ने उन्हें कहा कि अब तुम्हें जन हितार्थ जमीं पर रहना है। वैसे भी माना जाता है कि हर प्राणी को तय आयु तक भूमि पर रहना ही होता है। समय-असमय मृत्यु सब विधाता के हाथ है।

निर्दलीय समाचार पत्र समूह सह प्रकाशन के मानद संरक्षक-सलाहकार व नियमित स्तंभकार सुरेश खांडवेकर की भी कमोवेश यही कहानी है। वे मूलतः व्यंग्यकार, कथाकार या गद्य लेखक थे मगर निर्दलीय के लिए बीते वर्षों में आत्म तत्व पर लिखते-लिखते आत्म साधना में भी लवलीन हो गए थे। मुझे लगता है कि वे किन्हीं अज्ञात/गूढ़ पहलुओं पर पहुंच गए थे और परमात्मा ने उन्हें उनको वहीं रोक देना उचित समझा क्योंकि प्रभु अपने लोक या परमतत्व तक व्यक्ति को जीते जी एक सीमा में ही पहुंचने देता है। उसके बाद इंसान परमात्मा में लीन हो जाता है या फिर मौन, अशक्त या विक्षिप्त।

उन्हें चाहने वाले रक्त संबंधियों, इष्ट मित्रों व हम सहित अन्य या तमाम शुभेच्छुओं को उनका जाना खल अवश्य रहा है और खलना भी चाहिए मगर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे जीवन का भरपूर आनंद लेते हुए धरा से विदा हुए हैं। दस दिवसीय महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी को श्री गणपति की विदाई की पूर्व बेला में गत 5 सितंबर को दिल्ली में अपने निवास पर दिवंगत हुए श्री खांडवेकर का अंतिम संस्कार अनंत चतुर्दशी को ही किया गया। उसके पहले उनका घर महज चहार दीवारियों या पत्नी और बच्चों तक सीमित ना रहकर सारा संसार हो गया था। वैसे भी उनकी सोच बेहद व्यापक थी और चरित्र उदात्त-उदार। मैं प्रकाशन व समाज परिवर्तन की विभिन्न गतिविधियों एवं गृहकार्यों में कंठ तक डूबा होने के कारण समयाभाववश उनका वांछित लाभ नहीं ले पाया तथापि वे कई अंतरंग बातें भी मुझसे साझा करते रहते थे। श्री खांडवेकर परोपकार के बदले कोई प्रतिफल नहीं चाहते थे। लिहाजा एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि कई लोग उनके घर-परिवार में रहकर पले-बढ़े, शिक्षित-दीक्षित, गृहस्थ व नौकरपेशा हुए मगर उनमें से अधिकतर अब याद भी नहीं करते तो यह उनका कर्म है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। अस्तु, हमने जीवन में किसी को अपना मान या बना लिया तो उसे ताउम्र मानना-निभाना चाहिए। संभव है सामने वाला किन्हीं विवशताओं-व्यस्तताओं या अन्य कारणों से संबंधों की अभिव्यक्ति ना कर पा रहा हो मगर वह दुश्मन, कृतघ्न अथवा पराया ही हो गया हो- जरूरी नहीं। यह सच है कि सांसारिक पटल पर रिश्तों को वाणी, व्यवहार, भेंट या कृत्य आदि से व्यक्त करना अपरिहार्य रहता है किंतु हमें किसी की नीयत पर शक करने का हक नहीं होता। किसी की नीतियां गड़बड़ लग/हो सकती हैं लेकिन उसकी नीयत भी गड़बड़ हो-यह आवश्यक नहीं। सच है कि आपदा, विपत्ति या संकट में मित्र की पहचान होती है लेकिन यह भी सच है कि मुश्किल हालातों का सामना व्यक्ति अथवा परिवार को मूलरूप से स्वयं ही करना होता है। बंधु-बांधव, पुरा-पड़ौसी व इष्ट मित्र आदि अपनी पारिवारिक-कार्यालयीन/पेशागत जिम्मेदारियों एवं भौगोलिक दूरियों बगैरह के मद्देनजर शारीरिक रूप से उपस्थित रहकर या आर्थिक मदद प्रदान कर साथ नजर आ सकते हैं और एकाधिक ऐसा भी हो सकता है जो पूर्ण समय संकट में शारीरिक रूप से साथ रहे तथापि जो ऐसा ना कर पाएं अथवा नहीं कर पा रहे हों, उन्हें ठेठ असहयोगी मान लेना ब्रह्मलीन सुरेश खांडवेकर जी की भावनाओं के विपरीत होगा। वस्तुतः हमें इस सूक्ति को अपनाना चाहिए-

जो आ जाए, उसका सुस्वागतम।
जो ना आ पाए, तो भीड़ कम।।

गीता का भी यह घोष है- निर्लिप्तता, निष्कामता।

* प्रिंस अभिशेख अज्ञानी, संपादक

'ढाई आखर प्रेम के, सदा प्रेम से जिये। नदी की तरह बह के, मिले समंदर के हिये।।

अकसर हम कहते हैं कि हमें जो जीवन मिला है वह कुछ दिनों का ही है। जिंदगी को लोग अलग-अलग ढंग से देखते हैं, परिभाषित करते हैं और जीते अपने-अपने ढंग से हैं। जिंदगी के इस मेले में हम आते हैं, घूमफिरकर चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे पत्रकार, साहित्यकार और उद्यमी मित्र थे श्री सुरेश खांडवेकर जो जिंदगी को अलग ढंग से जीए और हमारे साथ कुछ समय बिताकर अनायास देवलोक गमन कर गए।

श्री खांडवेकर ने वर्ष २०२३ में निर्दलीय में कई स्तंभों के जरिए अपना लेखन आरंभ किया जिनमें 'ढाई आखर प्रेम के', कथा नचिकेता और सपने सोने नहीं देते उल्लेखनीय है। मैंने भी इसी बीच विचार प्रवाह (अग्र विचार) स्तंभ उन्हीं की सलाह से आरंभ किया जिसे वे एक पाठक के रूप में नियमित रूप से पढ़ते थे और समय-समय पर अपने सुझाव भी देते रहते थे। दैनिक निर्दलीय के अंक १७ नवंबर २०२४ में उन्होंने 'पाठकों के नाम' अपने पत्र में लिखा- गत दो वर्षों से रुग्नावस्था में था फिर भी स्वाध्याय कर रहा था जो स्वभाव में है उसका अनुसरण करने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है यह सिध्द हुआ। कह सकते हैं कि उपचार के साथ-साथ आध्यात्मिक मनन और आत्म चिंतन ने भी पर्याप्त शक्ति प्रदान की । अर्धांग के साथ अनेक व्यक्तियों ने जकड़ लिया था। शरीर का दाया हिस्सा और इस भाग में कंधा भी अविरोधी हो गया था । अत: उठना बैठना, पुस्तक उठाकर पढ़ना या मोबाइल फोन हाथ में पकड़े रखना कठिन हो गया था। यही कारण है कि निर्दलीय प्रकाशन के जुलाई माह में आयोजित वार्षिक उत्सव में आपके बीच सम्मिलित नहीं हो पाया और आपके दर्शनों का लाभ उठा ना सका। जुलाई अगस्त तक तो लेखन ठीक रहा, मोबाइल फोन में बोल बोल कर टाइप करता रहा और कार्यालय में प्रिंट निकालकर उसकी अशुद्धियां दूर करता रहा। सितंबर-अक्टूबर में पित्ताशय में एक छुपे रोग का खुलासा हुआ। मूत्र की थैलो मे छोटी-छोटी गांठे निकल आई जिससे पेशाब मे रक्त आने लगा। फोर्स्टीज हास्पिटल,शालीमार बाग दिल्ली में दाखिल था। पूरा अक्टूबर इस दोष को दूर करने में लग गया।

श्री खांडवेकर के उक्त पत्र से स्पष्ट कि वे असाध्य रोग से पीड़ित रहे। मैं जब भी निर्दलीय प्रकाशन के कार्य से नई दिल्ली जाता तो उन्हीं के पीतमपुरा स्थित आवास पर रूकता था और इस बची उनसे अच्छा-खासा सत्संग हो जाता था। मैं उनसे उनके रोग के बारे में पूछता तो वे हंसकर टाल जाते थे। एक बार मैंने उनकी बिटिया पल्लवी से पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि वे कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं किंतु हमने इस असाध्य बीमारी के बारे में उन्हें नहीं बताया क्योंकि यदि उन्हें बताते तो वे ज्यादा चिंतित होते।

श्री खांडवेकर के जिस पत्र का मैंने उल्लेख किया उस पत्र के आने के पूर्व हम उनके स्तंभ 'ढाई आखर प्रेम के' १२० आलेख प्रकाशित कर चुके थे किंतु कुछ ही पाठक अपनी प्रतिक्रिया देते थे लेकिन जब हमने उनका पत्र प्रकाशित किया तो उसके बाद पाठक उनके समक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने लगे। ऐसे पाठकों में निर्दलीय के गुरुग्राम स्थित सलाहकार श्री सुरेंद्र नाथ दुबे, भिवाड़ी स्थित लेखिका श्रीमती सरिता गर्ग 'सरि', नई दिल्ली स्थित लेखिका एवं संस्कृतिकर्मी दीप्ति शुक्ला आदि के नाम उल्लेखनीय है जो उन्हें ना केवल पढ़ते बल्कि उन्हें गुनते भी थे और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराके उनका उत्साहवर्धन करते थे। श्री दुबे ने जब उनसे दो बार कहा कि जब 'ढाई आखर प्रेम के' पुस्तक प्रकाशन में जाएगी तब वे उसकी प्रस्तावना लिखेंगे। उनके इस आशीर्वाद रूपी वचन ने उन्हें उत्साहित किया। श्री दुबे का कहना था कि श्री खांडवेकर के लेखन के विविध आयाम हैं और वे विभिन्न विषयों पर अपनी विशेषज्ञता रखते हैं तथा उसमें गहराई, स्पष्टता और रंजकता भी होती है। इस समय तक श्री खांडवेकर 'सपने सोने नहीं देते' के लगभग ४० भाग हम छाप चुके थे तथा कठोपनिषद के भी कई भागों का प्रकाशन हो चुका था। मैंने एक बार श्री खांडवेकर से पूछा कि 'सपने सोने नहीं देते' स्तंभ पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उसका मुख पात्र सदानंद आप ही हों? श्री खांडवेकर ने कहा कि आपका अनुमान बिलकुल सही है। श्री खांडवेकर निर्दलीय में लेखन आरंभ करने के पूर्व जाह्नवी मासिक और दैनिक स्वदेश से भी जुड़े रहे थे। मार्च २०२४ में जब में उनके निवास पर पहुंचा तो वे मुझे केशव कल्चर संस्था के फाग महोत्सव कार्यक्रम में अपने साथ ले गए तथा वहां उन्होंने जाह्नवी के प्रमुख श्री भारतभूषण चड्ढा को २१ हजार रुपए की राशि भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित करने के बाद उनके घर जाकर मुझे उनसे विशेष रूप से मिलवाया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी भी वहां उपस्थित थीं।

श्री खांडवेकर निर्दलीय प्रकाशन एवं दृष्टि जन संगठन द्वारा आयोजित शिविरों व कार्यक्रमों में भी अपनी विशेष उपस्थिति देकर हमारा मार्गदर्शन करते थे। वे आचार्य कुल की हरियाणा ईकाई द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित शिविर में मुझे और सेठ रामनिवास जी गुप्ता को भी ले गए थे। इसी तरह हरियाणा के रेवाड़ी व नई दिल्ली स्थित हरिजन सेवक संघ मुख्यालय में आयोजित शिविर में भी उन्होंने ना केवल भाग लिया बल्कि अपनी सांगीतिक प्रस्तुति देकर सबको भाव विभोर कर दिया था। हाल ही हमने 'रिश्तों की महक' साझा काव्य संग्रह प्रकाशित कर उसमें श्री खांडवेकर की कविताओं तथा उनके विचारों को विशेष स्थान दिया तो उन्होंने विशेष रूप से आभार जताया था। उनकी इच्छा थी कि निर्दलीय में हम सेठ रामनिवास गुप्ता के आलेखों का प्रकाशन करते रहते हैं उसकी पुस्तक का प्रकाशन भी निर्दलीय प्रकाशन द्वारा किया जाए। इस हेतु मैंने उनसे प्रस्तावना लिखने का निवेदन किया तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार भी कर लिया था किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था।

अंत में मेरी दो काव्य पंक्तियां-

'ढाई आखर प्रेम के', सदा प्रेम से जिये।
नदी की तरह बह के, मिले समंदर के हिये।।

-कैलाश आदमी

INDIA ART FESTIVAL

INDIA ART FESTIVAL
India's Contemporary Art Fair

The biggest Art Fair network since 2011

INDIA ART FESTIVAL

04-06 APRIL 2025
KINGS CROWN CONVENTION
HYDERABAD

07-09 NOV 2025
CONSTITUTION CLUB OF INDIA
NEW DELHI

12-14 DEC 2025
PALACE GROUNDS, BENGALURU

30 JAN-01 FEB 2026
NEHRU CENTRE, MUMBAI

MUMBAI ART FAIR

10-12 OCT 2025
NEHRU CENTRE, MUMBAI

+91 8976044104, 8976044107, 8976044108

indiaartfestival@gmail.com, indiaartfestival2014@gmail.com
indiaartfestival2016@gmail.com, www.indiaartfestival.com

सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

एलआईसी का
जीवन लाभ

एक पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान

Plan No.: 736 UIN No.: 512N304V03

आकर्षक लाभों के साथ जीवन बीमा सुरक्षा

पॉलिसी अवधि	प्रीमियम भुगतान अवधि
16	10
21	15
25	16

- न्यूनतम मूल बीमा राशि : ₹200,000/-
- अधिकतम मूल बीमा राशि : कोई सीमा नहीं
- प्रवेश की न्यूनतम आयु : 8 वर्ष
- प्रवेश की अधिकतम आयु : पॉलिसी अवधि 25/21/16 वर्ष के लिए 50/54/59 वर्ष

अपने एजेंट/शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विज़िट करें या एसएमएस करें 'आपके शहर का नाम' 56767474 पर

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

नकली फोन कॉल्स और झूठे/धोखाधड़ी पूर्ण ऑफ़र्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों के निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है. ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ.

बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
मध्य क्षेत्र, भोपाल
हर पल आपके साथ

LIC/P1/2024-25/18/Hin

RAM NIWAS & SONS
SRD STEELS (P) LTD.

SETH RAM NIWAS GUPTA
Chairman

SANJEEV GUPTA
Director

RAJEEV GUPTA
Director

DEEPAK GUPTA
Director

skgc

SHRI KRISHAN GRIT CO.
SKGC MINERALS LTD.

BRANCHES

Delhi • Mumbai • Bhopal • Bhilai • Ludhiana • Faridabad • Ahmedabad
Ghaziabad • Roorkee • Bangalore • Indore • Jaipur • Kanpur (U.P.)

Dr. Sanjeev Gupta (The Winner of)

- Global Business Icon Award - 2018
- Asia One-Global Indian of the Year 2018-19
- India's Greatest Brands 2018-19
- ARCH of Excellence Award
- Winner of National Award in 2021
- Meri Dilli Shresth Shree Sammaan - Nov. 2020
- ISI Mark from Bureau of Indian Standard - Dec. 2020
- Meri Dilli Shresth Shree Sammaan - Aug. 2022

स्वामी-मुद्रक-प्रकाशक-संपादक कैलाश श्रीवास्तव 'आदमी' द्वारा राघव भवन,गली क्र. 6/72 दयालपुर,दिल्ली 11009० से प्रकाशित,निर्दलीय प्रेस,भोपाल से मुद्रित।